



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276407
CG-DL-E-23092026-276407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]
No. 249]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

(मामला संख्या एडी (एसएसआर)-06/2026)
सेतु आईडी - (AD/SSR/006/2026)

चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" के आयातों से संबंधित निर्णायक
समीक्षा जांच।



सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

फा. सं. 7/10/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) तथा उसके अधीन समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था।
2. चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 16 सितंबर 2019 के माध्यम से प्रारंभ की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/35/2020-डीजीटीआर, दिनांक 14 सितंबर 2021 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए और चीन जन. गण. तथा कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की। तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 71/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 दिसंबर 2021 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया। पाटनरोधी शुल्क 16 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है।
3. अधिनियम की धारा 9क(5), नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित, के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उससे पहले निरस्त न किया जाए, तो उसके अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होती है कि लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत समर्थित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होती है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।
4. आवेदक ने 31 जनवरी 2026 को एक आवेदन दाखिल कर चीन जन. गण. से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया। यद्यपि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आयातों को कवर करता था, आवेदक ने शुल्क केवल चीन जन. गण. के विरुद्ध जारी रखने का अनुरोध किया, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य से आयात समाप्त हो गए थे और अभिलेख पर उपलब्ध सूचना कोरिया गणराज्य से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाती थी। तदनुसार, वर्तमान समीक्षा को चीन जन. गण. से आयातों तक सीमित रखा गया है।
5. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना को प्रथम दृष्टया सिद्ध करने वाले साक्ष्यों सहित विधिवत समर्थित आवेदन को देखते हुए, अधिनियम की धारा 9क(5), नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, के अनुसार प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/10/2026-डीजीटीआर, दिनांक 20 मार्च 2026 के माध्यम से चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद

के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करने की सार्वजनिक सूचना जारी की। प्राधिकारी ने पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा इस बात की जांच करने के लिए प्रारंभ की कि क्या चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।

क प्रक्रिया

6. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

6.1. जांच की शुरुआत

- i. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है।
- ii. प्राधिकारी ने जांच प्रारंभ करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- iii. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च 2026 की सार्वजनिक सूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ की।
- iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें विहित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

6.2. आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, संघों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से उपलब्ध कराई।
- ii. जहां अनुरोध किया गया, वहां आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

6.3. संबद्ध देश के निर्यातकों की भागीदारी

- i. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों संबद्ध देश को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं।

क	सीएनएसजी अनहुई होंग सिफांग कंपनी लिमिटेड
ख	हुबेई यिहुआ केमिकल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
ग	गुआंगडी माओमिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
घ	जेनिथ इंटरनेशनल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
ङ	झेजियांग जियाचेंग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

- ii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे।
- iii. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।
- iv. चीन सरकार ने अपने दूतावास के माध्यम से जांच में स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया।

6.4. आयातकों/प्रयोक्ताओं की भागीदारी

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भेजी और उन्हें विहित समय-सीमा के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी:
 - क कलरबॉक्स एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
 - ख देवीगम डाइयर्स
 - ग हिंदप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - घ केके ग्लोबल
 - ङ ल्यूपिन लिमिटेड
 - च ममता एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
 - छ निकेत इम्पेक्स
 - ज रामानंद किदारनाथ इंटरनेशनल
 - झ शंकर लाल रामपाल डाई केम प्राइवेट लिमिटेड
 - ञ स्वास्तिक पॉलीप्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ट विनय केमोप्लास्ट इंडस्ट्रीज
- ii. केवल संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातक/प्रयोक्ता के रूप में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत कराया। तथापि, उक्त आयातक/प्रयोक्ता ने संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया और न ही जांच के दौरान कोई सूचना उपलब्ध कराई।

6.5. जांच अवधि और क्षति अवधि

- i. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि ('पीओआई') 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक मानी गई। तदनुसार, क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच अवधि शामिल हैं।

6.6. आगे की प्रक्रिया

- i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई। तथापि, केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रस्तुतियों के अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और

- उसमें उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपनी प्रस्तुतियों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।
- iii. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का लेन-देन-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने लेन-देनों की समुचित जांच के बाद आयात मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
 - iv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 30 जुलाई 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त विचारों की लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने तथा उसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियां दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
 - v. नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया अथवा अन्यथा समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए।
 - vi. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की, ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में, जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, गोपनीयता दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
 - vii. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की शुद्धता का सत्यापन किया गया, जो इन अंतिम जांच परिणामों का आधार है। सूचना का यथासंभव सत्यापन किया गया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उस सीमा तक सत्यापन किया गया जितना प्रासंगिक, व्यवहार्य और आवश्यक माना गया।
 - viii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत के अनुसार क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।
 - ix. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थीं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी गई, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।
 - x. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक 09.09.2026 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जहां तक वे प्रासंगिक और अपुनरावृत्त पाई गई, इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।
 - xi. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' उस सूचना को दर्शाता है जो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है और जिसे नियमावली के अंतर्गत उसी रूप में माना गया है।

- xii. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 86.76 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जांच अवधि के दौरान लागू विनिमय दरों का औसत है। यही विनिमय दर इस प्रकटन विवरण में सर्वत्र लागू की गई है।

स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#!/services/viewExchangeRate>

ख विचाराधीन उत्पाद

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ख.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- क विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, चाहे उसका उत्पादन जिंक अथवा सोडियम फॉर्मेट का उपयोग करके किया गया हो। इसे हाइड्रोसल्फाइड कंसन्ट्रेट, सोडियम डाइथियोनाइट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड अथवा एसएचएस के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्रिस्टलीय रासायनिक सूत्र $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ है।
 - ख सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन अथवा योजक के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है और यह किसी प्रयोक्ता उद्योग के लिए फीडस्टॉक/कच्चा माल नहीं है।
 - ग वर्तमान मामले में पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि संबद्ध वस्तु का उत्पादन और बिक्री विभिन्न सांद्रताओं में होती है, ऐसे अंतर उत्पादन लागत में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते।
 - घ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सोडियम हाइड्रोसल्फाइड” है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, अतः मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और वर्तमान समीक्षा की शुरुआत के चरण में विचारित विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार है –

“7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “सोडियम हाइड्रोसल्फाइड” है, चाहे उसका उत्पादन जिंक अथवा सोडियम फॉर्मेट का उपयोग करके किया गया हो; इसे “हाइड्रोसल्फाइड कंसन्ट्रेट” अथवा “सोडियम डाइथियोनाइट” अथवा “सोडियम हाइड्रोसल्फाइड” अथवा “एसएचएस” के

नाम से भी जाना जाता है। यह तीखी गंध वाला सफेद अथवा धूसर-सफेद पाउडर है, जिसमें कोई दृश्य बाहरी कण नहीं होते। इसका क्रिस्टलीय रासायनिक सूत्र $Na_2S_2O_4$ है।

8. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन या तो “जिंक प्रक्रिया” अथवा “सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया” का उपयोग करके किया जाता है। पहली प्रक्रिया में जिंक धूल की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया तथा परिणामी जिंक लवण को कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड में परिवर्तित करना शामिल है। दूसरी प्रक्रिया में मेथेनॉल विलयन में कास्टिक सोडा और सल्फर डाइऑक्साइड की सोडियम फॉर्मेट के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उत्पादन किया जाता है।”

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के अध्याय 28 के अंतर्गत टैरिफ कोड 2831 1010 और 2832 1020 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
11. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री भार के आधार पर की जाती है, जिसे मीट्रिक टन (मी.टन) में व्यक्त किया जाता है, और वर्तमान जांच में भी इसे ही अपनाया गया है।
12. वर्तमान जांच के दौरान पीसीएन कार्यप्रणाली अपनाने का कोई अनुरोध नहीं किया गया। घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया है कि यद्यपि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उत्पादन और बिक्री विभिन्न सांद्रताओं में होती है, इससे उत्पाद की उत्पादन लागत में अंतर नहीं आता। इसके अतिरिक्त, किसी भी पूर्व जांच में कोई पीसीएन निर्धारित नहीं किया गया था। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ कोई पीसीएन कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई है।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों का उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप में उपयोग किया जाता है। तदनुसार, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ग घरेलू उद्योग का दायरा और पात्रता

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और पात्रता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क आवेदक सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं है।
 - ख देश में संबद्ध वस्तु के 4 अन्य उत्पादक हैं।
 - ग आवेदन का समर्थन डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन केमिकल्स लिमिटेड और कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है।
 - घ आवेदक देश में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखता है और घरेलू उद्योग गठित करने के लिए पात्र है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:
- “(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे समस्त घरेलू उत्पादक अथवा वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में ‘घरेलू उद्योग’ शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”*
17. वर्तमान आवेदन सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
18. भारत में समान वस्तु के चार अन्य घरेलू उत्पादक हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है।
- क डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ख गुलशन केमिकल्स लिमिटेड
 - ग कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - घ टीसीपी लिमिटेड
19. आवेदन का समर्थन डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन केमिकल्स लिमिटेड और कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है। आवेदक और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का 52% हिस्सा रखता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक और समर्थकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 86% है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

उत्पादक का नाम	उत्पादन (मी.टन)	हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
आवेदक	***	***
समर्थक	***	***
क. डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***
ख. गुलशन केमिकल्स लिमिटेड	***	***
ग. कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	86%
आवेदक + समर्थक	***	80%-90%
सीमा		***
अन्य भारतीय उत्पादक	***	10%-20%
सीमा		***
कुल भारतीय उत्पादन	***	***

20. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और समुचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह प्रस्तावित रूप से निर्धारित करता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

घ विविध मुद्दे और गोपनीयता

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता अथवा अन्य विविध मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) तथा व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018, व्यापार सूचना 1/2013 दिनांक 9 दिसंबर 2013 के साथ पठित, के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध था।

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच

की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की, जहां तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और तदनुसार उनका निपटान किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न सूचनाओं, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, मालसूची, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, उत्पादन लागत पर आधारित सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन आदि पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां भी सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, उसे सूचकांकित आधार पर उपलब्ध कराया गया है। सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना को सीमा के रूप में प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं पर भी, जहां ऐसी सूचना उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है, गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ऐसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन दस्तावेजों का सारांश बनाना संभव नहीं है।

25. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित था गोपनीयता दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव था, घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

ड सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. इस संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रस्तुति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है।

- क चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ख वर्तमान मामले में यूरोपीय संघ को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि वह वैश्विक स्तर पर एसएचएस के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, यूरोपीय संघ में विनिर्माण का पैमाना चीन के तुलनीय है और दोनों देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

29. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को विहित रूप और रीति में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। तथापि, संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया। अतः संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।

ड.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

30. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।*

एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा

चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

31. घरेलू उद्योग ने चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उद्धरण दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। यह कहा गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-प्रेरित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
32. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 का प्रावधान, प्रवेश प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित, यह अपेक्षा करता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरे किए जाएं। वर्तमान मामले में चीन के किसी उत्पादक ने उत्तर प्रस्तुत करके जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार प्रावधान है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाएगा; या जहां यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत, आवश्यकता होने पर उचित लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समुचित समायोजन सहित, शामिल है। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से, संबंधित देश के विकास स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का समुचित ध्यान रखा जाएगा। जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में समान मामले में की गई जांच का निर्धारित समय-सीमा के भीतर ध्यान रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को उक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित अवधि दी जाएगी।”

33. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यूरोपीय संघ को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाना चाहिए। इस दावे के समर्थन में उसने कहा है कि चीन जन. गण. के अतिरिक्त यूरोपीय संघ एसएचएस के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है; दोनों देशों में विनिर्माण का पैमाना तुलनीय है और दोनों देशों के उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं; तथा दोनों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने वर्तमान प्रयोजन के लिए यूरोपीय संघ को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उपयुक्त तीसरा देश मानने की उपयुक्तता स्थापित करने हेतु पर्याप्त औचित्य अथवा सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार, प्राधिकारी यूरोपीय संघ को बाजार अर्थव्यवस्था वाला उपयुक्त तीसरा देश मानने में असमर्थ है। अभिलेख पर किसी अन्य प्रासंगिक सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से प्राप्त किया गया है और विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ राशि के लिए समुचित रूप से समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ड.3.2 चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

34. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी के अभाव में, निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार सूचना पर विचार किया गया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार और कमीशन के कारण कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-स्तर की निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ड.3.3 पाटन मार्जिन

35. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/मी.टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन सीमा
कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	40-50

च क्षति, क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध का आकलन

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. चूंकि इस जांच में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भाग नहीं लिया, अतः कोई टिप्पणी/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने क्षति, क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- क पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण का भारतीय उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और शुल्क के अधिरोपण के बाद एक नए घरेलू उत्पादक ने प्रचालन प्रारंभ किया है।
 - ख क्षति अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग पाटन से संरक्षित रहा और उसे क्षति नहीं हुई। तथापि, यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।
 - ग ऐसे मामले में जहां पाटनरोधी शुल्क का घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सुधार का वांछित प्रभाव पड़ा है, प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं, जैसा कि सीईएसटीएटी ने पी.टी. असाहीमास कैमिकल्स बनाम डी.ए. के मामले में अभिनिर्धारित किया है।
 - घ शुल्क अधिरोपण के बाद आयात मात्रा धीरे-धीरे घटी, किंतु 2024-25 और जांच अवधि में लगभग नगण्य रही, क्योंकि निर्यातकों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा की प्रत्याशा में जानबूझकर निर्यात सीमित कर दिया था।
 - ङ जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात लगभग नगण्य थे, किंतु जांच अवधि के बाद उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वास्तव में, अप्रैल-जून 2026 के दौरान वार्षिकीकृत आधार पर आयात 2022-23 के आयातों की तुलना में काफी अधिक हैं।
 - च संबद्ध देश के निर्यातकों ने अतीत में नियमित रूप से शुल्क लगाए जाने के बाद आयात घटाए हैं। तथापि, शुल्क समाप्त होने के बाद आयात मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है।
 - छ चीनी उत्पादकों के पास भारतीय बाजार में आपूर्ति करने की क्षमता और वाणिज्यिक रुचि है और पाटनरोधी शुल्क के अभाव में वे तेजी से निर्यात बढ़ा सकते हैं।
 - ज संबद्ध वस्तु एक कमोडिटी उत्पाद है और उपभोक्ता की खरीद बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ते विकल्प पर निर्भर करती है। अतः पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।
 - झ संबद्ध देश के निर्यातकों में पाटन करने की प्रवृत्ति है। पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने निरंतर पाया है कि निर्यातक उल्लेखनीय मार्जिन पर पाटन में संलग्न रहे हैं।
 - ञ चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं और शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार की ओर विपथन होने की संभावना है।
 - ट उदाहरण के लिए, चीन में संबद्ध वस्तु के केवल 4 उत्पादकों की क्षमता भारत की संपूर्ण मांग से 652% अधिक है।

- ठ जांच अवधि के दौरान चीनी निर्यातक 69 देशों को वस्तु का निर्यात कर रहे थे और 100% वस्तुओं का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा था। ऐसे तीसरे देशों को निर्यात के लिए पाटन मार्जिन ***% तक था।
- ड जांच अवधि के दौरान चीन से तीसरे देशों को किए गए कुल निर्यात का ***% क्षतिकारक कीमतों पर था।
- ढ चीन से तीसरे देशों को किए गए निर्यात का ***% भारत में प्रचलित कीमत से कम कीमतों पर था, जिससे भारत चीनी उत्पादकों के लिए अत्यंत आकर्षक बाजार बनता है।
- ण तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा भारत की संपूर्ण मांग की दोगुनी है और ऐसे निर्यातों का भारत की ओर विपथन घरेलू उद्योग को बाजार से बाहर कर देगा।
- त विदेशी उत्पादक अन्य बाजारों में भी अनुचित व्यापार व्यवहारों में संलग्न हैं, जिसका प्रमाण यह है कि कोरिया ने हाल ही में चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है।
- थ कोरिया द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने से चीन की एक महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच सीमित हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संबद्ध वस्तु का भारत की ओर विपथन होने की संभावना है।
- द शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उत्पादक संबद्ध आयातों की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे।
- ध संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उत्पादकों को अपनी कीमतें घटानी पड़ेंगी, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता मापदंडों में गंभीर गिरावट, नकद हानि, निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति, कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में किए गए तर्कों और प्रस्तुतियों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी का विश्लेषण किए गए विभिन्न अनुरोधों का निपटान करता है।
39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वर्तमान क्षति का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क की उपस्थिति के कारण उसके आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है और इसलिए वह वर्तमान में क्षति नहीं झेल रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना होने के कारण पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है।
40. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु का बंदी उपभोग अल्प मात्रा में किया गया। देश में उत्पाद की मांग *** मी.टन की तुलना में *** मी.टन के नगण्य बंदी उपभोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ बंदी उपभोग की उपेक्षा की है।

च.3.1 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

क मांग/उपभोग का आकलन

41. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष उपभोग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों की बिक्री तथा सभी स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में किया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
<u>आबद्ध खपत को छोड़कर</u>					
घरेलू उद्योग	मी.टन	***	***	***	***
रेंज	सूचीबद्ध	100	98	103	109
अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***
रेंज	सूचीबद्ध	100	120	121	121
चीन से आयात	मी.टन	2,425	1,258	18	23
अन्य आयात	मी.टन	216	504	180	0
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***
रेंज	सूचीबद्ध	100	107	106	109

42. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है।

ख निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात

43. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि पाटित आयातों में, निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
संबद्ध आयात	मी.टन	2,425	1,258	18	23
अन्य आयात	मी.टन	216	504	180	0
कुल आयात	मी.टन	2,641	1,762	198	23
भारतीय उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	111	113
भारतीय खपत	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	106	109
<u>संबद्ध आयात निम्न के संबंध में—</u>					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	1	1

भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	1	1
कुल आयात	%	91.82%	71.39%	9.09%	99.88%

44. यह देखा गया है कि –

- पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के बाद संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है।
- जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात नगण्य थे।
- इसी प्रकार, भारतीय उत्पादन और उपभोग दोनों के सापेक्ष संबद्ध आयातों की मात्रा क्षति अवधि के दौरान घटी है।

45. यद्यपि जांच अवधि में आयात मात्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई, यह देखा गया है कि पीओआई-पश्चात अवधि में इसमें एक बार फिर उल्लेखनीय वृद्धि हुई (अक्टूबर'25 से जनवरी'26 में 48.9 मी.टन), जो वार्षिकीकृत आधार पर 147 मी.टन है, अर्थात् 500% से अधिक की वृद्धि।

च.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

46. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना होता है कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है या नहीं, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक दबाने या उन कीमत वृद्धियों को महत्वपूर्ण सीमा तक रोकने का है जो अन्यथा हुई होती।

क कीमत कटौती

47. कीमत कटौती का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की आयातों के पहुंच मूल्य से तुलना करके किया गया है।

विवरण	इकाई	पाटनरोधी शुल्क के बिना मूल्य	पाटनरोधी शुल्क सहित मूल्य
आयात मात्रा	मी.टन	23	23
पहुँच कीमत	₹/मी.टन	91,044	1,29,220
बिक्री कीमत	₹/मी.टन	***	***
कीमत कटौती	₹/मी.टन	***	***
कीमत कटौती	%	***	***
कीमत कटौती	रेंज	5-15%	(20-30)

48. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम था। तथापि, चूंकि कीमत का अंतर कम था, यह देखा गया है कि लागू पाटनरोधी शुल्क

के कारण घरेलू उद्योग की कीमत की तुलना में आयात अब लाभकारी नहीं रहे। परिणामस्वरूप आयात मात्रा में तीव्र गिरावट आई, जो पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्शाती है।

49. यह भी देखा गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में न लिया जाए, तो जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से कम था और इस प्रकार कीमत कटौती धनात्मक और महत्वपूर्ण हो जाती है।

ख कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

50. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक न्यूनीकृत करना अथवा सामान्य क्रम में अन्यथा होने वाली कीमत वृद्धि को रोकना है, लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
बिक्री लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	77	80
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	65	67
पहुँच मूल्य	₹/मी.टन	1,03,602	79,577	87,876	91,044

51. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई, जो स्पष्ट कीमत ह्रास को दर्शाती है। इसी अवधि में बिक्री लागत में भी गिरावट आई। तथापि, 2023-24 और जांच अवधि के बीच बिक्री लागत में लगभग ₹***/मी.टन की वृद्धि हुई, जबकि निवल बिक्री प्राप्ति में केवल लगभग ₹***/मी.टन की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यद्यपि समग्र क्षति अवधि मुख्यतः कीमत ह्रास दर्शाती है, जांच अवधि के दौरान कीमत न्यूनीकरण भी है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप पूरी तरह बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

च.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

52. नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

53. जांच अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
स्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	106	106
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	104	109
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	98	103
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	103	109

54. यह नोट किया जाता है कि –

- घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए स्थापित क्षमता बढ़ाई है, यद्यपि क्षमता में वृद्धि काफी कम है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग 2023-24 में घटा, किंतु उसके बाद और समग्र क्षति अवधि में बढ़ा है।
- शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप संबद्ध आयातों की मात्रा घटने के साथ, अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है।

ख बाजार हिस्सेदारी

55. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी तथा संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	97	101
अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	114	112
संबद्ध आयात	%	5.3%	2.58%	0.04%	0.05%
अन्य आयात	%	0.48%	1.03%	0.38%	0.00%

56. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी व्यापक रूप से स्थिर रही, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। इसी समय, संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई और जांच अवधि में वह नगण्य हो गई।

ग मालसूची

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
आरंभिक मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
समापन मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	135	89

57. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची 2023-24 में बढ़ी, किंतु उसके बाद और समग्र क्षति अवधि में घट गई, क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई।

घ लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

58. घरेलू उद्योग के निष्पादन की लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में जांच की गई है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
बिक्री लागत	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	77	80
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	65	67
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	17	16
लाभ/(हानि)	₹/मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	17	15
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	30	29
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	18	16

59. यह देखा गया है कि –

- क क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। अर्जित कुल लाभ और प्रति इकाई अर्जित लाभ दोनों में गिरावट आई है।
- ख घरेलू उद्योग के नकद लाभ ने भी समान प्रवृत्ति दर्शाई है और क्षति अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है।

ग इसी प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

60. घरेलू उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि इन मापदंडों में गिरावट चीनी आयातों के कारण है। किसी भी स्थिति में, चूंकि आयात मात्रा नगण्य थी और शुल्क-सहित पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक था, अतः इन मापदंडों में गिरावट को आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

ड रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

61. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता का विवरण नीचे दी गई तालिका में है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	112	112
वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	109	110
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	104	109
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	93	98

62. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में बढ़ी और उसके बाद स्थिर रही। भुगतान की गई मजदूरी 2023-24 में बढ़ी, उसके बाद मामूली रूप से घटी, किंतु व्यापक रूप से स्थिर रही। प्रति दिन उत्पादकता अवधि के दौरान बढ़ी है, जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में मामूली गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

च वृद्धि

63. जांच अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	जांच अवधि
उत्पादन	%	-	-6%	10%	5%
घरेलू बिक्री	%	-	-2%	6%	6%
लाभ/हानि	%	-	-45%	-69%	-5%
नकद लाभ	%	-	-35%	-54%	-4%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-49%	-65%	-9%

64. यह नोट किया जाता है कि शुल्क अधिरोपण के बाद घरेलू उद्योग ने अपने मात्रा संबंधी मापदंडों में सुधार देखा। यद्यपि लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक रही, तथापि यह चीनी आयातों के कारण नहीं है। चूंकि आयात मात्रा नगण्य थी और शुल्क-सहित पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक था, अतः घरेलू उद्योग द्वारा कीमत संबंधी मापदंडों में झेली गई गिरावट को आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

छ पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

65. शुल्क अधिरोपण के कारण अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बाजार में अपने उत्पाद की अधिक मात्रा को लाभकारी कीमतों पर बेचने और लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा है। अतः पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता चीन से पाटन के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

ज घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

66. शुल्क अधिरोपण के बाद घरेलू उद्योग उत्पाद को लाभ पर बेचने में सक्षम रहा है और आयात प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में आए हैं। पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है।

झ पाटन का परिमाण

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का चीन से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है। पाटन मार्जिन धनात्मक और महत्वपूर्ण है। आयातों की मात्रा नगण्य थी और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

ञ क्षति मार्जिन का परिमाण

68. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना और आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-पुनरावर्ती व्यय शामिल न किया जाए। नियमावली के अनुबंध-III में विहित अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी, अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी के योग, पर 22% का उचित कर-पूर्व प्रतिफल क्षतिरहित कीमत प्राप्त करने हेतु कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया है।

69. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत की तुलना की गई है। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	क्षतिरहित कीमत	पहुँच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	(\$/मी.ट.)	(\$/मी.ट.)	(\$/मी.ट.)	%	सीमा
कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	15-25

च.3.4 पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

70. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा अभिलेख पर लाई गई सभी प्रासंगिक सूचना की जांच की है और निम्नानुसार नोट किया है।

i. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा

71. क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा में गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयात मात्रा अत्यंत कम और नगण्य थी। यह दर्शाता है कि चीनी उत्पादक संबद्ध वस्तु को उचित कीमतों पर बेचने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें भारत को निर्यात काफी हद तक घटाना पड़ा है। तथापि, आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि नीचे अन्यत्र जांच की गई है, चीनी उत्पादक कम समय में महत्वपूर्ण मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं। अतः वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात पुनः प्रारंभ करने की संभावना है।
72. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में उत्पाद का भारत को महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना संख्या 55/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 दिसंबर 2012 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था। उक्त शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप 2017 तक निर्यात में महत्वपूर्ण गिरावट आई। तदनुसार, 13 दिसंबर 2017 के बाद पाटनरोधी शुल्क को आगे नहीं बढ़ाया गया। शुल्क समाप्त होने के बाद पाटित कीमतों पर आयात मात्रा में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को इतनी महत्वपूर्ण क्षति हुई कि घरेलू उद्योग को पुनः आवेदन दाखिल करने और पाटनरोधी जांच की मांग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकारी ने पाटित कीमतों पर आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति होने के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क के पुनः अधिरोपण की सिफारिश की (वर्तमान निर्णायक समीक्षा की मूल जांच के अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से)। अतः प्राधिकारी कम अवधि में आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नोट करता है।

अवधि	आयात मात्रा (मी.टन)	टिप्पणियां
2016-17	43	
2017-18	710	शुल्क की समाप्ति
2018-19	4,080	
2019-20	6,288	
2020-21	6,070	
2021-22	1,987	शुल्क का पुनः अधिरोपण
2022-23	2,416	
2023-24	1,348	
2024-25	66	
जांच अवधि	23	

ii. पीओआई-पश्चात अवधि में आयात मात्रा में वृद्धि

73. प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 की पीओआई-पश्चात अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और उनकी तुलना जांच अवधि, अर्थात् अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025, के दौरान दर्ज आयातों से की है। चूंकि जांच अवधि 12 माह की थी जबकि पीओआई-पश्चात अवधि 123 दिनों की है, अतः दोनों अवधियों की निरपेक्ष आयात मात्राएं सीधे तुलनीय नहीं हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने आयातों की वार्षिकीकृत आधार पर तुलना की है।

74. जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा 23 मी.टन थी, जबकि पीओआई-पश्चात अवधि में वार्षिकीकृत आयात मात्रा 147 मी.टन थी। इस प्रकार, जांच अवधि के बाद वार्षिकीकृत आधार पर आयात दर में लगभग ***% की वृद्धि हुई। अतः पीओआई-पश्चात आंकड़े दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की प्रत्याशा में संबद्ध देश से आयात बढ़े हैं।

वर्ष	चीन से आयात (मी.टन)	
	वास्तविक	वार्षिकीकृत
2022-23	2,416	2,416
2023-24	1,348	1,348
2024-25	66	66
जांच अवधि	23	23
पीओआई-पश्चात (अक्टूबर'25-जनवरी'26)	***	147

iii. चीनी उत्पादकों का पाटन का दीर्घ इतिहास

75. चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पूर्व में पाटनरोधी जांचों के अधीन रहे हैं। प्राधिकारी ने लगातार पाया है कि चीन जन. गण. के निर्यातक महत्वपूर्ण पाटन में संलग्न रहे हैं, जिसका प्रमाण

अतीत में निर्धारित पाटन मार्जिन हैं (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित है)। यह दर्शाता है कि चीनी निर्यातकों में भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करने की प्रवृत्ति है।

जांचें	अंतिम जांच परिणाम की तारीख	पाटन मार्जिन (%)
पहली पाटनरोधी जांच	13 सितंबर 2001	72 - 86%
पहली निर्णायक समीक्षा	6 सितंबर 2006	91%
दूसरी निर्णायक समीक्षा	3 अक्टूबर 2012	70-80%
दूसरी पाटनरोधी जांच	14 सितंबर 2021	70-80%

iv. कोरिया गणराज्य द्वारा चीनी निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण

76. चीन के निर्यातकों को कोरिया गणराज्य में भी संबद्ध वस्तु का पाटन करते पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, कोरिया गणराज्य ने हाल ही में (17 दिसंबर 2025 को) चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 12.87-33.97% की दर से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है। यह दर्शाता है कि विदेशी उत्पादकों में पाटन में संलग्न होने की प्रवृत्ति है और शुल्क के अभाव में उनके भारत में पाटन करने की संभावना है।

v. भारतीय बाजार कीमत की दृष्टि से आकर्षक है

77. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ट्रेड मैप के वैश्विक निर्यात आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों को किए गए चीनी निर्यात का ***% भारत को दी गई कीमतों से कम कीमतों पर था। इसका अर्थ है कि चीन के निर्यातकों के लिए भारत कीमत की दृष्टि से अधिक आकर्षक बाजार है और चीनी निर्यातक जांच अवधि में प्रचलित निर्यात कीमत से भी कम कीमत पर भारत को निर्यात करने के इच्छुक होंगे। यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो निर्यातों का भारत की ओर विपथन होने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

विवरण	इकाई	जांच अवधि
चीन से तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा	मी.टन	***
चीन से तीसरे देशों को कम कीमत वाले निर्यात की मात्रा (भारत की तुलना में)	मी.टन	***
कुल निर्यातों के सापेक्ष कम कीमत वाले निर्यातों की हिस्सेदारी	%	***
	सीमा	90-100%
भारत में मांग	मी.टन	***
मांग के सापेक्ष कम कीमत वाले आयात	%	***
	सीमा	200-210%

vi. चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं

78. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के अनुसार चीनी निर्यातकों के पास उपलब्ध ज्ञात क्षमताओं के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया है। यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास बड़ी उत्पादन क्षमताएं हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ चीनी उत्पादकों की व्यक्तिगत क्षमता उनके देश की मांग से अधिक है। चीन के केवल चार उत्पादकों के पास *** मी. टन क्षमता है, जो भारतीय मांग के ***% के बराबर है। यदि वर्तमान शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो चीनी उत्पादकों द्वारा भारत को निर्यात करके अपनी विशाल क्षमता का उपयोग किए जाने और इस प्रकार घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की प्रबल संभावना है।

उत्पादक	क्षमता (मी. टन)
यानताई जिन्हे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	***
हुबेई यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***
शानडोंग शुआंगचियाओ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***
गुआंगडी माओमिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***
कुल	***
भारत में मांग	***
मांग के सापेक्ष निर्यातकों की क्षमताएं	***%
सीमा	650-660

भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल क्षमता 72,600 मी.टन, विचाराधीन उत्पाद की कुल भारतीय मांग 48,837 मी.टन तथा घरेलू उद्योग की क्षमता 37,000 मी.टन होने की तुलना में, 4 चीनी उत्पादकों की कुल क्षमता 3,20,000 मी.टन है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग का 655% है। महत्वपूर्ण क्षमताओं वाले चीनी उत्पादकों की पाटन का सहारा लेने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इस बात की स्पष्ट संभावना है कि चीनी उत्पादक इन क्षमताओं का भारत की ओर विपथन करेंगे और नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति तथा निरंतरता होगी। अतः मौजूदा दर पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना अनिवार्य हो जाता है।

vii. शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को संभावित क्षति

79. शुल्कों के अधिरोपण ने वर्तमान बाजार स्थिति को स्थिर किया है, जिससे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद बना रहा है। तथापि, यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो चीनी निर्यातकों द्वारा पुनः पाटन प्रारंभ किए जाने की संभावना है। जिन कीमतों पर चीनी निर्यातक संबद्ध वस्तु को तीसरे देशों तथा भारत को निर्यात कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग उन कीमतों की बराबरी नहीं कर पाएगा और प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। इससे घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि होने और उसके वित्तीय मापदंडों में अचानक गिरावट आने की संभावना है।

च.3.5 क्षति तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना पर निष्कर्ष

80. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं।

- क शुल्क अधिरोपण के कारण क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में गिरावट आई है। तथापि, पीओआई-पश्चात अवधि में आयात बढ़े हैं।
- ख संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिससे यह संभावना प्रदर्शित होती है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करेंगे।
- ग घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं में मामूली वृद्धि की है और क्षति अवधि के दौरान उसका उत्पादन तथा क्षमता उपयोग भी बढ़ा है।
- घ पाटित आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है और उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके विपरीत, संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- ङ अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में गिरावट आई है।
- च घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है।
- छ घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित नहीं हुई है।
- ज क्षति अवधि के दौरान आयात मात्रा में गिरावट आई है और जांच अवधि में आयात नगण्य थे।
- झ ऐतिहासिक रूप से, शुल्क अधिरोपित होने पर निर्यात मात्रा घटी है, किंतु शुल्क हटाए जाने अथवा समाप्त होने दिए जाने पर बढ़ी है।
- ञ वार्षिकीकृत आधार पर देखे जाने पर पीओआई-पश्चात अवधि में आयात मात्रा ***% बढ़ी है।
- ट संबद्ध देश के निर्यातकों में संबद्ध वस्तु का पाटन करने की प्रवृत्ति है, जिसका प्रमाण वर्तमान और पूर्व जांचों में निर्धारित महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन हैं।
- ठ संबद्ध देश के निर्यातकों के लिए भारत अत्यंत आकर्षक कीमत वाला बाजार है, क्योंकि चीन से तीसरे देशों को किए गए ***% निर्यात की कीमतें भारत में प्रचलित कीमतों से कम हैं और शुल्क के अभाव में ऐसे आयातों का भारतीय बाजार की ओर विपथन हो सकता है।
- ड कोरिया गणराज्य ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है, जो दर्शाता है कि निर्यातक तीसरे देशों में भी अनुचित व्यापार व्यवहारों में संलग्न हैं।
- ढ चीन जन. गण. के निर्यातकों के पास महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं, जिनका भारत की ओर विपथन होने पर वे भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने में सक्षम होंगे।
- ण महत्वपूर्ण क्षमताओं वाले चीनी उत्पादकों की पाटन का सहारा लेने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इस बात की स्पष्ट संभावना है कि चीनी उत्पादक इन क्षमताओं का भारत की ओर विपथन करेंगे और नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति तथा निरंतरता होगी।
- त यद्यपि घरेलू उद्योग वर्तमान में लाभ अर्जित कर रहा है, तथापि शुल्क के अभाव में यदि उसे चीन से संभावित निर्यात कीमतों की बराबरी करने के लिए बाध्य होना पड़े, तो उसे महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, नकद हानि और ब्याज-पूर्व लाभ तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ेगा।

81. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को आयातों से निरंतर क्षति नहीं हुई है। तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि वर्तमान शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है।

च.3.6 गैर-आरोपण विश्लेषण

82. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच करने की अपेक्षा है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में प्रासंगिक हो सकने वाले कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पाटित कीमतों पर बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा उपभोग प्रतिरूपों में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। यद्यपि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पाई है, तथापि नीचे यह जांच की गई है कि पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक घरेलू उद्योग को संभावित क्षति में योगदान कर सकते हैं या नहीं:

क तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

83. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयातों के अतिरिक्त, जांच अवधि के दौरान किसी अन्य देश से कोई आयात नहीं हुआ। अतः घरेलू उद्योग को संभावित क्षति को तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

ख मांग में संकुचन

84. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ी है। अतः मांग में किसी संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

ग प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

85. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो।

घ उपभोग का पद्धति

86. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग प्रतिरूप में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो।

ङ प्रौद्योगिकी का विकास

87. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर सकता हो। अतः संभावित क्षति को प्रौद्योगिकीय विकासों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

च निर्यात निष्पादन

88. ऊपर जांच की गई क्षति सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकता।

छ कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

89. संभावित क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में सूचना अलग की है और उपलब्ध कराई है।

छ भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

90. चूंकि इस जांच में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भाग नहीं लिया, अतः कोई टिप्पणी/अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

91. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- क पाटनरोधी शुल्क जारी रखना भारतीय उद्योग, उपभोक्ताओं और व्यापक जनहित में है।
 - ख पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने नोट किया था कि शुल्क अधिरोपित करने से बाजार में उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी और केवल बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।
 - ग शुल्कों के अधिरोपण ने निष्पक्ष बाजार स्थितियां स्थापित कीं और घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, बाजार की अनुकूल स्थितियों के कारण एक नए घरेलू उत्पादक ने प्रचालन प्रारंभ किया।
 - घ शुल्कों ने डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के प्रचालन अथवा निष्पादन में बाधा नहीं डाली, क्योंकि शुल्क अधिरोपण के बावजूद संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई।
 - ङ पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति का प्रयोक्ता उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जारी निर्णायक समीक्षा की जानकारी होने के बावजूद किसी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया।
 - च सोडियम हाइड्रोसल्फाइट किसी भी प्रयोक्ता के लिए कच्चा माल नहीं है और इसका उपयोग केवल रासायनिक योजक के रूप में किया जाता है। तदनुसार, ऐसे प्रयोक्ताओं के लिए यह प्रमुख लागत का हिस्सा नहीं है।
 - छ शुल्कों को जारी रखने का अंतिम प्रयोक्ताओं की लागत पर नगण्य प्रभाव होगा और अधिकांश मामलों में ऐसा प्रभाव 1% से कम है।
 - ज जांच अवधि के दौरान नगण्य आयातों के बावजूद, भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की अनुपलब्धता के संबंध में प्रयोक्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई।
 - झ देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है और भारतीय क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
 - ञ भारत में संबद्ध वस्तु के 5 उत्पादक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में संलग्न हैं। अतः प्रयोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध रहेगी।
 - ट प्रयोक्ता संबद्ध वस्तु को 5 भारतीय उत्पादकों से प्राप्त कर सकते हैं अथवा उचित कीमतों पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात कर सकते हैं।

- ठ एक स्वस्थ घरेलू उद्योग का अस्तित्व प्रयोक्ताओं के हित में है। शुल्क के अभाव से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने की संभावना है, जिससे प्रयोक्ता आयातों पर पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे।
- ड घरेलू उद्योग ने शुल्क अधिरोपण के बाद अर्जित पर्याप्त लाभ के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, पशु कल्याण, युवा एवं महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण समुदाय विकास और अन्य पहलों सहित सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं में भाग लिया है।
- ढ पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है और शुल्कों की समाप्ति उसके उद्देश्य को निष्फल करेगी।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान करना और भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करना है। पाटनरोधी शुल्क का आशय आयातों को प्रतिबंधित करना अथवा घरेलू उद्योग को उचित कीमत वाले आयातों से संरक्षण देना नहीं है। इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के बीच समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसर सुनिश्चित करना है। प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का भारत में संबद्ध वस्तु की कीमत पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, ऐसा जारी रहना आयातों को नहीं रोकेगा और न ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को कम करेगा। इसके विपरीत, इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि आयात निष्पक्ष शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करें और घरेलू उद्योग अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य [(2006) 10 एसएससी 368] में यह अभिमत व्यक्त किया कि यद्यपि पाटन कम कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं को अल्पकालिक लाभ प्रदान कर सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह घरेलू उद्योग और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
93. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक सूचना, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है, उपलब्ध कराने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी के समक्ष भाग नहीं लिया अथवा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, यद्यपि एक आयातक/प्रयोक्ता ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया, उसने भी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराई।
94. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड किसी भी प्रयोक्ता के लिए कोई इनपुट अथवा कच्चा माल नहीं है और विभिन्न अनुप्रयोगों में केवल रासायनिक योजक के रूप में प्रयुक्त होता है। अतः शुल्कों को जारी रखने का अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने अपने दावों के समर्थन में विस्तृत गणनाएं प्रस्तुत की हैं।
95. यह नोट किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। विभिन्न खंडों में संबद्ध उत्पाद के प्रमुख अनुप्रयोग नीचे सूचीबद्ध हैं:

- क वस्त्र – बैट और इंडिगो रंगों की रंगाई तथा रंगों को हटाने के लिए सिंथेटिक वस्त्र की रिडक्शन क्लियरिंग हेतु।
- ख विरंजन सहायक – ग्राउंड वुड पल्प, साबुन, चीनी, शीरा, गोंद और काओलिन (मिट्टी) में प्रयुक्त।
- ग अपचायक अभिकर्मक – धातु आयनों को धातुओं में अपचय करने, ऊन के बालों में डाइसल्फाइड लिंकेज तथा नाइट्रोजन यौगिकों में उपयोग हेतु।
- घ औषधियां – रासायनिक अभिक्रियाओं और अंतिम उत्पाद के रंग हटाने हेतु।
- ड पॉलिमर – ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग एजेंट के रूप में।

96. यह नोट किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का उपभोक्ताओं द्वारा केवल रासायनिक योजक के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्पाद का किसी भी प्रयोक्ता द्वारा कच्चे माल अथवा प्रमुख इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता और इस प्रकार यह प्रयोक्ताओं की लागत में मापनीय अनुपात नहीं रखता। एसआईओएन मानदंडों के अनुसार प्रमुख अनुप्रयोगों में विचाराधीन उत्पाद के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान दरों (440 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन) पर शुल्क जारी रखने का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	इकाई	सूती वस्त्र	डेनिम वस्त्र	चीनी	टिप्पणियां
उत्पाद की कीमत	रु./किग्रा अथवा नग	442	250	50	क
एसएचएस की खपत (एसआईओएन के अनुसार)	किग्रा/किग्रा अथवा नग	0.02	0.02	0.004	ख
एसएचएस का पहुँच कीमत	रु./किग्रा	91.4	91.4	91.4	ग
अंतिम उत्पाद में एसएचएस की लागत	रु./किग्रा	1.8	1.8	0.4	घ = ख*ग
अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क	रु./किग्रा	38	38	38	ड.
पाटनरोधी शुल्क के बाद एसएचएस की कुल लागत	रु./किग्रा	2.6	2.6	0.5	ज = (ड.*ख)+घ
अंतिम उत्पाद पर प्रभाव	रु./किग्रा अथवा नग	0.76	0.76	0.15	झ = ज - घ
अंतिम उत्पाद पर प्रभाव	%	0.17%	0.31%	0.31%	ञ - झ/क

विवरण	इकाई	सेफ्लाकोर	कोट्रिमोक्साज़ोल	टिप्पणियां
उत्पाद की कीमत	रु./किग्रा अथवा नग	11,800	1.2	क
एसएचएस की खपत (एसआईओएन के अनुसार)	किग्रा/किग्रा अथवा नग	3.43	0.0000408	ख
एसएचएस की पहुँच कीमत	रु./किग्रा	91.4	91.4	ग
अंतिम उत्पाद में एसएचएस की लागत	रु./किग्रा	313.5	0.0037	घ = ख*ग
अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क	रु./किग्रा	38	38	ड.
पाटनरोधी शुल्क के बाद एसएचएस की कुल लागत	रु./किग्रा	444.4	0.005	ज = (ड.*ख)+घ

अंतिम उत्पाद पर प्रभाव	रु./किग्रा अथवा नग	130.94	0.0016	झ = ज - घ
अंतिम उत्पाद पर प्रभाव	%	1.11%	0.13%	ज - झ/क



DGTR
DIRECTORATE GENERAL
OF TRADE REMEDIES

SODIUM HYDROSULPHITE ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$)

Pictographic representation of duty impact on selected downstream products

Based only on the duty impact tables in the Disclosure Statement – Textile/Fabric and Pharmaceutical products

FAIR TRADE
COMPETITIVE INDUSTRY
STRONGER INDIA



1. TEXTILE / FABRIC PRODUCTS

Sodium Hydrosulphite is used in fabric processing (e.g. bleaching, decolorisation).

Cotton fabric



Price of product	Rs 442 per kg
SHS consumed (as per SION)	0.02 kg per kg
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 1.8 per kg
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 2.6 per kg
Impact on end-product	Rs 0.76 per kg
Impact on end-product	0.17%
Very small pass-through impact on final fabric cost.	

Denim fabric



Price of product	Rs 250 per kg
SHS consumed (as per SION)	0.02 kg per kg
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 1.8 per kg
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 2.6 per kg
Impact on end-product	Rs 0.76 per kg
Impact on end-product	0.31%
Limited impact on final denim cost.	



2. PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Sodium Hydrosulphite is used in pharmaceutical manufacturing (e.g. as a reducing agent).

Ceflador



Price of product	Rs 11,800 per kg
SHS consumed (as per SION)	3.43 kg per kg
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 313.5 per kg
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 444.4 per kg
Impact on end-product	Rs 130.94 per kg
Impact on end-product	1.11%
Impact remains modest relative to product value.	

Cotrimoxazole



Price of product	Rs 1.2 per piece
SHS consumed (as per SION)	0.0000408 kg per piece
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 0.0037 per piece
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 0.005 per piece
Impact on end-product	Rs 0.0016 per piece
Impact on end-product	0.13%
Negligible effect on finished dosage cost.	



How to read the calculation

- 1 SHS consumption shows how much Sodium Hydrosulphite is used in the product.
- 2 Cost of SHS in end-product shows the pre-duty SHS cost embedded in the final product.
- 3 Total cost of SHS after ADD shows the SHS cost after adding anti-dumping duty.
- 4 Impact on end-product shows the final pass-through effect on the finished product.



Key takeaway

- 1 Duty impact on cotton and denim fabric is very low (0.17% to 0.31%).
- 2 Duty impact on pharmaceutical products remains limited (0.13% to 1.11%).
- 3 The calculations indicate that anti-dumping duty has only a limited pass-through effect on selected downstream products.

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास संबद्ध वस्तु की वर्तमान और निकट भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और अनेक घरेलू उत्पादक प्रयोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प प्रदान करते हैं। किसी भी प्रयोक्ता ने प्रश्नावली/आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे मौजूदा शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव का पता चलता हो। तदनुसार, शुल्कों को जारी रखने से संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर सारभूत प्रभाव पड़ने अथवा डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अपेक्षा नहीं है। साथ ही, मौजूदा शुल्कों ने निष्पक्ष बाजार स्थितियां बनाए रखने में सहायता की है और अनुचित कीमत वाले आयातों के अभाव में भारतीय उद्योग को अपना निष्पादन सुधारने में सक्षम बनाया है।

ज प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

98. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों को समाहित करने वाला प्रकटीकरण विवरण 9 सितंबर 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की, जहाँ तक उन्हें प्रासंगिक माना गया, जाँच की है। ऐसा कोई प्रस्तुतीकरण, जो केवल पूर्व प्रस्तुतीकरणों की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जाँच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात निम्नलिखित नए प्रस्तुतीकरण किए हैं:
- क ज़िंक प्रक्रिया और सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया के बीच अंतर के संबंध में प्रयुक्त कच्चे माल, अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया, लागत और उपयोग का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शुद्धताओं वाले सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के बीच अंतर भी प्रदान किया जाना चाहिए।
 - ख यद्यपि यह नोट किया गया है कि देश में कोई माँग-आपूर्ति अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग के पास माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, तथापि इस निष्कर्ष के तथ्यात्मक आधार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
 - ग पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।
 - घ घरेलू उद्योग के निर्यात, संयंत्र-बंदी और मूल्यहास लागत का विवरण मंगाकर उसकी जाँच की जानी चाहिए।
 - ड चूँकि उत्पाद का उपयोग गन्ना/चीनी उद्योग में किया जाता है, जो केवल उत्तर भारत में स्थित है और जिसमें उत्पादन मौसमी है, इसलिए ऐसी क्षेत्रीय और मौसमी माँग के प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।

- च दक्षिण कोरिया, जर्मनी, हांगकांग और अन्य देशों से आयातों के प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।
- छ संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण से उत्पन्न प्रदूषण की लागत और प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

100. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण जारी किए जाने के पश्चात निम्नलिखित नए प्रस्तुतीकरण किए हैं:

- क विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग, पाटन, पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रस्तावित निष्कर्षों की अंतिम निष्कर्षों में पुष्टि की जानी चाहिए।
- ख जाँच अवधि के दौरान चीनी निर्यातक 69 देशों को वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे, जिसमें 100% वस्तुओं का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, चीन से तीसरे देशों को किए गए कुल निर्यात का 98% क्षतिकारक कीमतों पर था।
- ग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उत्पादक संबद्ध आयातों की कीमतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगे। यदि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इससे लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गंभीर गिरावट आएगी और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।
- घ प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँचों तथा वर्तमान मामले में पहले ही नोट किया है कि जिक मार्ग अथवा सोडियम फॉर्मेट मार्ग से उत्पादित उत्पादों के बीच तथा विभिन्न शुद्धताओं वाले उत्पादों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- ङ जाँच अवधि के दौरान भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध कुल क्षमता देश की संपूर्ण माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और उत्पाद के लिए कोई माँग-आपूर्ति अंतर नहीं होगा।
- च पाटनरोधी शुल्कों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण किया है और उसे लाभप्रद बने रहते हुए अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाया है। तथापि, शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।
- छ घरेलू उद्योग के निर्यात और मूल्यहास लागत का विवरण प्रपत्र IVA के भाग के रूप में पहले ही प्रदान किया जा चुका है।
- ज घरेलू उद्योग को ऐसी कोई असामान्य अथवा बड़ी संयंत्र-बंदी का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे उसके प्रचालनों पर प्रभाव पड़ता।
- झ उत्पाद का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है और इसका उपयोग किसी ऐसे मौसम अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जो उत्पाद की माँग को प्रभावित कर सके।
- ञ चूँकि किसी अन्य देश से कोई आयात नहीं है, इसलिए उनका घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता था।
- ट विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न प्रदूषण के कारण घरेलू उद्योग को किसी असामान्य लागत का सामना नहीं करना पड़ा है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

101. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण-पश्चात प्रस्तुतीकरणों की जाँच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियों की पहले ही उपयुक्त रूप से जाँच की जा चुकी है तथा अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में उनका पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतीकरणों में पहली बार उठाए गए ऐसे मुद्दों, जिन्हें प्राधिकारी प्रासंगिक मानते हैं और जिनकी ऊपर पहले ही जाँच नहीं की गई है, की जाँच नीचे की गई है।
102. विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव, घरेलू उद्योग के निर्यात, घरेलू उद्योग की मूल्यहास लागत तथा अन्य देशों से आयातों के प्रभाव से संबंधित प्रस्तुतीकरणों की वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग में पहले ही जाँच की जा चुकी है।
103. संबद्ध वस्तु की मांग चीनी उद्योग में इसके उपयोग के कारण मौसमी और क्षेत्र-विशिष्ट होने संबंधी तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करता है कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का देश भर में अनेक उद्योगों और अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है और यह केवल चीनी उद्योग तक सीमित नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शाया जा सके कि मौसमी अथवा क्षेत्रीय उपभोग ने संबद्ध वस्तु की मांग को सारभूत रूप से प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि चार वर्षों को कवर करती है और इस अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी प्रदर्शित नहीं किया है कि किसी मौसमी अथवा क्षेत्रीय कारक ने केवल किसी विशिष्ट अवधि को किस प्रकार प्रभावित किया है। अतः यह तर्क अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से समर्थित नहीं है।
104. घरेलू उद्योग के प्रचालन बंद रहने के संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जाँच की है। यह देखा गया है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान कोई असामान्य अथवा अनियोजित प्रचालन बंदी नहीं हुई, जो उसके निष्पादन को सारभूत रूप से प्रभावित कर सकती थी।
105. हितबद्ध पक्षकारों ने इस निष्कर्ष के आधार के प्रकटन की मांग की है कि भारतीय उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और सहायक भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत क्षमता संबंधी सूचना की जाँच की है। स्थिति निम्नानुसार है:

उत्पादक का नाम	स्थिति	क्षमता (मी. टन)
सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	घरेलू उद्योग	***
डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	समर्थक	***
कच्छ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	समर्थक	***

गुलशन केमिकल्स लिमिटेड	समर्थक	***
टीसीपी लिमिटेड	अन्य भारतीय उत्पादक	***
कुल भारतीय क्षमता		***
कुल भारतीय माँग		***

106. भारत की कुल क्षमता *** मी.टन है, जो *** मी.टन की भारतीय माँग से काफी अधिक है। अतः भारतीय उद्योग के पास वर्तमान घरेलू माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और माँग में वृद्धि को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारत में संबद्ध वस्तु की किसी कमी की संभावना नहीं है।

107. प्रदूषण-संबंधी लागत के संबंध में किए गए तर्क पर, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने अपशिष्ट जल उपचार पर किए गए व्यय का विवरण उपलब्ध कराया है। किसी अन्य असामान्य अथवा अतिरिक्त प्रदूषण-संबंधी लागत की पहचान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह दर्शाया जा सके कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन में असामान्य रूप से अधिक प्रदूषण-संबंधी लागत आती है, जिसने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया हो। अतः यह तर्क अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से समर्थित नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी इस प्रस्तुति में कोई गुण नहीं पाता है।

108. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु के निर्यात से संबंधित सूचना भी अभिलेख पर प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत के संदर्भ में की है। विश्लेषण से पता चलता है कि तीसरे देशों को किए गए *** मी.टन के कुल चीनी निर्यात में से *** मी.टन, अर्थात् लगभग **%, पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया था। इसके अतिरिक्त, उचित समायोजन किए जाने के पश्चात् *** मी.टन, अर्थात् लगभग **%, घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम कीमतों पर निर्यात किया गया था।

विवरण	इकाई	जाँच अवधि
चीन से तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा	मी. टन	***
चीन से तीसरे देशों को पाटित निर्यात की मात्रा	मी. टन	***
कुल निर्यात के सापेक्ष पाटित निर्यात का हिस्सा	%	99%
चीन से तीसरे देशों को क्षतिकारक निर्यात की मात्रा	मी. टन	***
कुल निर्यात के सापेक्ष क्षतिकारक निर्यात का हिस्सा	%	98%
भारत में माँग	मी. टन	***

माँग के सापेक्ष पाटित आयात	%	***
माँग के सापेक्ष क्षतिकारक आयात	%	***

109. अतः, तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर किए गए चीनी निर्यातों की मात्रा भारत की संपूर्ण माँग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह दर्शाता है कि चीनी निर्यातों की एक पर्याप्त मात्रा ऐसी कीमतों पर उपलब्ध है जो क्षति कारित करने में सक्षम है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो ऐसे निर्यातों का भारतीय बाजार की ओर पुनर्निर्देशन हो सकता है। अतः प्राधिकारी इसे पाटित और क्षतिकारक आयातों की पुनरावृत्ति की संभावना का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक मानता है।

झ निष्कर्ष

110. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, चाहे उसका उत्पादन जिंक प्रक्रिया अथवा सोडियम फॉर्मेट प्रक्रिया के माध्यम से किया गया हो।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
 - निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया था और इसका समर्थन डेमोशा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन केमिकल्स लिमिटेड तथा कच्छ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया था।
 - आवेदक कुल भारतीय उत्पादन का लगभग ***% हिस्सा रखता है और इसलिए घरेलू उद्योग का गठन करता है। आवेदक, सहायक उत्पादकों के साथ मिलकर, कुल भारतीय उत्पादन का लगभग ***% हिस्सा रखता है।
 - संबद्ध देश से आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन धनात्मक है, न्यूनतम स्तर से अधिक है और महत्वपूर्ण है।
 - क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की माँग में समग्र रूप से वृद्धि हुई।
 - वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। संबद्ध आयात घटकर नगण्य स्तर पर आ गए, जबकि घरेलू बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ। यद्यपि लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई, घरेलू उद्योग लाभप्रद बना रहा।
 - तथापि, उपलब्ध सूचना से यह दर्शित होता है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है, तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निम्नलिखित कारणों से:

- क क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय गिरावट आई और जांच अवधि के दौरान वे नगण्य रहे।
- ख ऐतिहासिक रूप से, जब पाटनरोधी शुल्क लागू रहा, तब आयातों में गिरावट आई और जब शुल्क हटाया गया अथवा उसे समाप्त होने दिया गया, तब आयातों में वृद्धि हुई।
- ग जांच अवधि-पश्चात अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई और वार्षिकीकृत आधार पर वे जांच अवधि तथा 2024-25 की तुलना में अधिक थे।
- घ वर्तमान तथा पूर्ववर्ती जांचों में महत्वपूर्ण पाटन मार्जिन पाए गए हैं, जो संबद्ध वस्तु का पाटन करने की चीनी निर्यातकों की निरंतर प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
- ङ चीनी निर्यातक तीसरे देशों को ऐसी कीमतों पर महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात कर रहे हैं जो सामान्य मूल्य से कम तथा घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी कम हैं। शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ऐसे निर्यातों का भारत की ओर विपथन हो सकता है।
- च भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक बाजार है। तीसरे देशों को किए जाने वाले लगभग 95% चीनी निर्यात भारत में प्रचलित कीमतों से कम कीमतों पर हैं, जिससे भारत की ओर विपथन की प्रबल संभावना उत्पन्न होती है।
- छ कोरिया गणराज्य ने भी चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है, जो अन्य बाजारों में भी संबद्ध वस्तु के पाटन को दर्शाता है।
- ज चीनी उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताएं हैं। यदि इन क्षमताओं का एक भाग भी भारत की ओर विपथित होता है, तो वह भारतीय बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।
- झ यद्यपि घरेलू उद्योग वर्तमान में लाभप्रद है, तथापि शुल्क के अभाव में संभावित चीनी आयात कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए यदि उसे अपनी कीमतें घटानी पड़ती हैं, तो उसे वित्तीय हानि, नकद हानि और ऋणात्मक प्रतिफल होने की संभावना है।
- ix. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना सार्वजनिक हित में है और इससे व्यापक जनता पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।
- x. संबद्ध वस्तु का उपयोग मुख्यतः डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में रासायनिक योजक के रूप में किया जाता है और यह डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का कोई प्रमुख हिस्सा नहीं है।
- xi. शुल्क जारी रखने का डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत पर केवल नगण्य प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसलिए अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण भार पड़ने की संभावना नहीं है।

- xii. भारत में संबद्ध वस्तु के पांच उत्पादक हैं और उपलब्ध घरेलू क्षमता वर्तमान मांग के साथ-साथ भविष्य में मांग में उचित वृद्धि को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अतः शुल्क जारी रखने से किसी मांग-आपूर्ति अंतर के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।
- xiii. किसी भी प्रयोक्ता ने प्रश्नावली/आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया और न ही अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जिससे मौजूदा शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव का पता चलता हो। अतः अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर मौजूदा शुल्क के किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता हो।

ज सिफारिशें

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच प्रारंभ की गई और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। यह निष्कर्ष निकाले जाने के पश्चात कि यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों को जारी रखना आवश्यक है। प्राधिकारी दिनांक 14 सितंबर 2021 के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में, दिनांक 17 दिसंबर 2021 की अधिसूचना संख्या 71/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अधिरोपित निश्चित पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानता है।
112. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के स्तंभ (7) में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर अगले पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2831 1010 और 2832 1020	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी	440	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	440	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

ट आगे की प्रक्रिया

113. इन अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 15th September, 2026

Case No. AD (SSR) - 06/2026

SETU ID - AD/SSR/006/2026

Sunset Review Investigation concerning imports of “Sodium Hydrosulphite” originating in or exported from China PR.



Pictographic presentation of Sodium Hydrosulphite

F. No. 7/10/2026-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application filed by Silox India Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”), on behalf of the domestic industry, seeking initiation of sunset review of anti-dumping duty concerning imports of Sodium Hydrosulphite (the “subject goods” or the “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”).
2. The original investigation concerning imports of subject goods originating in or exported from the China PR and Korea RP was initiated by the Authority vide Notification No. 6/35/2020-DGTR, dated 16th September 2019. The Authority notified the Final Findings vide Notification No. 6/35/2020-DGTR, dated 14th September 2021 and recommended imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR and Korea RP. Subsequently, the Ministry of Finance imposed anti-dumping duties vide Notification No 71/2021- Customs (ADD), dated 17th December 2021. The anti-dumping duties are set to expire on 16th December 2026.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of Rules, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. The applicant filed an application dated 31st January 2026 seeking initiation of sunset review and continuation of anti-dumping duty on imports of Sodium Hydrosulphite from China PR. While the existing anti-dumping duty covered imports from China PR and Korea RP, the applicant sought continuation of duty only against China PR, as imports from Korea RP had ceased during the injury period and the information on record did not indicate likelihood of recurrence of dumping and injury from Korea RP. Accordingly, the present review has been restricted to imports from China PR.
5. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence substantiating likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority issued a public notice initiating the sunset review of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from China PR, vide Notification No. 7/10/2026-DGTR, dated 20th March

2026, published in the Gazette of India. The Authority initiated the review of anti-dumping duty imposed earlier to examine whether the expiry of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

6.1. Initiation

- i. The Authority received a written application from the domestic industry alleging that expiry of current anti-dumping duties is likely to result in continuation or recurrence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry.
- ii. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
- iii. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a public notice dated 20th March 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject country.
- iv. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

6.2. Circulation of non-confidential version of the application

- i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
- ii. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

6.3. Participation by Exporters of Subject country

- i. In accordance with Rule 6(4), the Authority sent exporters' questionnaires to the following producers and exporters of the subject country to seek relevant information.
 - a. CNSG Anhui Hong Sifang Co. Ltd.
 - b. Hubei Yihua Chemical Industrial Co. Ltd.
 - c. Guangdi Maoming Chemical Co. Ltd.

- d. Zenith International Group Co. Ltd.
- e. Zhejiang Jiacheng Chemicals Co. Ltd.
- ii. The Embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iii. None of producers / exporters of the product under consideration from the subject country responded to the exporter's questionnaire, in response to the initiation of the subject investigation.
- iv. The Government of China, through its Embassy, was registered as an interested party in the investigation.

6.4. Participation by Importers/Users

- i. The Authority forwarded a copy of the initiation notification along with importer's/user's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules and advised them to make their views known within the prescribed time limit:
 - a. Colorbox Exim Private Limited
 - b. Devieegam Dyers
 - c. Hindprakash Industries Limited
 - d. KK Global
 - e. Lupin Limited
 - f. Mamta Exim Private Limited
 - g. Niket Impex
 - h. Ramanand Kidarnath International
 - i. Shankar Lal Rampal Dye Chem Private Limited
 - j. Swastik Polyprints Private Limited
 - k. Vinay Chemoplast Industries
- ii. Only Sandeep Organics Private Limited registered itself as an interested party being an importer / user of the product under consideration from subject country. However, the importer / user did not respond to the relevant questionnaire issued by the Authority, in response to the initiation of the subject investigation or provide any information during the course of the investigation.

6.5. Period of Investigation and Injury Period

- i. As noted in the initiation notification, the period of investigation ('POI') for the purpose of the present investigation was considered as 1st October 2024 to 30th September 2025. Accordingly, the injury period covered the years 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the period of investigation.

6.6. Further procedure

- i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. However, only the domestic industry filed response to the Economic Interest Questionnaire.

- ii. Non-confidential version of the submissions filed by the domestic industry were made available to all interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- iii. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- iv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 30th July 2026. The parties presented their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- v. In accordance with Rule 6(8) of the Rules, wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- vi. In accordance with Rule 7 of the Rules, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- vii. In accordance with Rule 8, during the course of the investigation, accuracy of the information supplied by the domestic industry has been verified, which forms the basis of these final findings. The information was verified to the extent possible and verified the data submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- viii. The non-injurious price determined as per the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles and Annexure – III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- ix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.
- x. A disclosure statement dated 09.09.2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Anti-Dumping Rules disclosing the essential facts under

consideration in the matter relating to the present anti-dumping investigation. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.

- xi. “***” in these final findings statement represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.
- xii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 86.76, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this disclosure statement.
Source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

B.1 Submissions by the other interested parties

- 7. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

B.2 Submissions by the domestic industry

- 8. The domestic industry has made the following submissions with regards to the product under consideration and like article.
 - a. The product under consideration is Sodium Hydrosulphite, whether produced using Zinc or Sodium Formate. It is also known as Hydrosulphite Concentrate, Sodium Dithionite, Sodium Hydrosulfite or SHS. Its crystalline chemical formula is $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$.
 - b. Sodium Hydrosulphite is widely used in diverse industrial sectors as a chemical or additive by the downstream users and does not constitute a feedstock/raw material for any user industry.
 - c. There is no requirement for adoption of PCN methodology in the present case. While the subject goods are produced and sold in different concentrations, such differences do not lead to a significant change in the cost of production.
 - d. The product produced by the domestic industry is like article to the imported product under consideration.

B.3 Examination by the Authority

- 9. The product under consideration in the present investigation is “Sodium Hydrosulphite”. Since the present investigation is a sunset review, the scope of the product under consideration as determined by the Authority in the final findings of the original investigation and considered at the stage of initiation of the present review is as below –

“7. The product under consideration in the present investigation is “Sodium Hydrosulphite”, whether produced using Zinc or Sodium Formate, is also known

as “Hydrosulphite Concentrate” or “Sodium Dithionite” or “Sodium Hydrosulfite” or “SHS”. It is a white or grayish white powder, free from visible foreign particles with pungent odour. Its crystalline chemical formula is $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$.

8. The product under consideration is produced using either “Zinc Process” or “Sodium Format Process”. The former process involves reaction of zinc dust with sulphur dioxide and converting the resultant zinc salt to sodium hydrosulphite in the presence of caustic soda and soda ash. The latter process involves the reaction of caustic soda and sulphur dioxide with sodium format in a methanol solution to produce sodium hydrosulphite.”

10. The product under consideration is classified under Chapter 28 of Schedule I of the Customs Tariff Act, under tariff codes 2831 1010 and 2832 1020. The Customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
11. The product under consideration is produced and sold in terms of weight, expressed in metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.
12. No request for adoption of PCN methodology was made during the course of the present investigation. The domestic industry has highlighted that while Sodium Hydrosulphite is produced and sold in different concentrations, the same does not result in differences in the cost of production of the product. Further, no PCN had been framed in any of the past investigations. Therefore, no PCN methodology has been adopted for the purpose of the present investigation.
13. The Authority notes that there are no significant differences in the products produced by the domestic industry and the goods imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical properties, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The products produced by the domestic industry and that imported from the subject country are being used interchangeably by the consumers. Accordingly, it is held that Sodium Hydrosulphite produced by the domestic industry is ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

C.1 Submissions by the other interested parties

14. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

C.2 Submissions by the domestic industry

15. The domestic industry has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:
- The applicant, Silox India Private Limited, has not imported the subject goods from subject country during the period of investigation, and are not related to any exporter or importer of the product under consideration from subject country.
 - There are 4 other producers of the subject goods in the country.
 - The application has been supported by Demosha Chemicals Private Limited, Gulshan Chemicals Limited and Kutch Chemicals Industries Limited.
 - The applicant accounts for a major proportion in the total domestic production for the subject goods in the country and is eligible to constitute domestic industry.

C.3 Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as below:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be constructed as referring to the rest of the producers.”

17. The present application has been filed by Silox India Private Limited. It is noted that the applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India. Further, the applicant has not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation.
18. There are four other domestic producers of the like article in India, as listed below.
- Demosha Chemicals Private Limited
 - Gulshan Chemicals Limited
 - Kutch Chemicals Industries Limited
 - TCP Limited
19. The application has been supported by Demosha Chemicals Private Limited, Gulshan Chemicals Private Limited and Kutch Chemicals Industries Limited. Considering the production of the application and other Indian producers, it is noted that the applicant accounts for 52% of the total Indian production. Further, the production of applicant and the supporters account for 86% of the total Indian production, as can be seen from the table below.

Name of the producer	Production (MT)	Share (in %)
Applicant	***	52%
Supporters	***	***
a. Demosha Chemicals Private Limited	***	***
b. Gulshan Chemicals Limited	***	***
c. Kutch Chemicals Industries Limited	***	***
Applicant + Supporters	***	86%
Range		80%-90%
Other Indian producer	***	***
Range		10%-20%
Total Indian production	***	***

20. In view of the above, and after due examination, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. MISCELLANEOUS ISSUES AND CONFIDENTIALITY

D.1 Submissions by the other interested parties

21. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

D.2 Submissions by the domestic industry

22. No submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality, or other miscellaneous issues.

D.3 Examination by the Authority

23. The non-confidential version of the information provided by the domestic industry was available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 1/2013 dated 9th December 2013.

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof and if, in the

opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

24. The claims made by the domestic industry, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry has claimed confidentiality on various information, such as, production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value based in cost of production, dumping margin, injury margin, etc. It is also seen that wherever information is for the injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in the range. Further, the domestic industry has also claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. The domestic industry has claimed that non-confidential summary of such information cannot be provided since these documents are not susceptible to summary.
25. The information provided by the domestic industry on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the domestic industry was directed to provide sufficient non confidential versions of the information filed on a confidential basis.

E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 Submissions by the other interested parties

26. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

E.2 Submissions by the domestic industry

27. The domestic industry has submitted as under with regard to the determination of normal value, export price and dumping margin.
 - a. China PR should be treated as a non-market economy, and the normal value should be determined based as per Para 7 of the Annexure I.

- b. In the present case, European Union can be considered as an appropriate market economy third country, since it is one of the major producers and exporters of SHS globally, manufacturing scale in EU is comparable to China and both countries are among the largest economies in the world.

E.3 Examination by the Authority

28. Under Section 9A (1)c, normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

- (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

29. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the prescribed form and manner. However, no producer / exporter from the subject country has cooperated in the present investigation by filing a questionnaire response. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject country, have, therefore, been determined as below.

E.3.1 Normal value for China PR

30. Article 15 of the China’s Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market

economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

31. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product under with regard to production and sale of the product under consideration. It has been stated that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their cost and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.
32. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. In the present case, no producer from China has participated in the investigation by furnishing a response. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexures I of the Rules which state as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

33. The domestic industry has submitted that the European Union should be considered an appropriate market economy third country. In support of this claim, it has stated that, apart from China PR, the European Union is one of the major producers and exporters of SHS; that the scale of manufacturing in the two countries is comparable, with producers in both countries having significant production capacities; and that both are among the largest economies in the world. However, the domestic industry has not provided sufficient justification or supporting evidence to establish the appropriateness of the

European Union as a market economy third country for the present purpose. Accordingly, the Authority is unable to consider the European Union as an appropriate market economy third country. In the absence of any other relevant information on record, the Authority has determined the normal value on the basis of the price payable in India, derived from the cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and a reasonable amount of profit. The normal value so determined is set out in the dumping margin table below.

E.3.2 Export price for China PR

34. In absence of participation from the producers/exporters from the subject country, the export price has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For this purpose, information as per the DG Systems data has been considered. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, insurance, credit cost, bank charges and commission on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

E.3.3 Dumping margin

35. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin has been determined below.

Dumping margin table

Particular	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	Range
Any producer	***	***	***	***	40-50

F. ASSESSMENT OF INJURY, LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1. Submissions by the other interested parties

36. Since, no other interested party participated in this investigation, therefore, no comments/submissions have been received.

F.2. Submissions by the domestic industry

37. The domestic industry has made the following submissions with regards to injury, likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link.
- Imposition of anti-dumping duties has had a positive impact on the Indian industry, with new domestic producer starting operations after imposition of duty.
 - During the injury period, the domestic industry was insulated from dumping due to presence of anti-dumping duty and it did not suffer injury. However, in case the

duty is allowed to expire, there is a likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

- c. In case where the anti-dumping duty has had the desired effect of improvement in the economic parameters of the domestic industry, the Authority is required to examine whether injury is likely to recur in the event of cessation of duty, as held by the CESTAT in the case of P.T. Asahimas Chemicals vs. DA.
- d. The volume of imports declined gradually post imposition of duties but were almost negligible in 2024-25 and in the period investigation as the exporters intentionally curtailed exports in anticipation of the present sunset review.
- e. The subject imports were almost negligible during the period of investigation but increased significantly post the period of investigation. In fact, imports during April -June 2026 on annualised basis are significantly higher than imports during 2022-23.
- f. The exporters from the subject country have, regularly in the past, reduced imports once duties are imposed. However, once duties expire, the volume of imports increases sharply.
- g. The Chinese producers have the capacity and commercial interest to supply in the Indian market and can rapidly increase exports in absence of anti-dumping duty.
- h. The subject goods are commodity products and consumer purchases depends on the cheapest option available in the market. Therefore, in absence of anti-dumping duty, domestic industry will suffer material injury.
- i. The exporters in the subject country have a tendency to dump. In the past investigations, the Authority consistently found the exporters to have engaged in dumping at significant margins.
- j. The Chinese producers have significant production capacities, and the subject goods are likely to be diverted to Indian market in case of cessation of duty.
- k. For instance, just 4 producers of subject goods in China have capacity which is 652% greater than the entire demand in India.
- l. During the period of investigation, the Chinese exporters were exporting the goods to 69 countries, with 100% of the goods being exported at dumped prices. The dumping margin for exports to such third countries was as high as ***%.
- m. During the period of investigation, ***% of all exports from China to third countries were at injurious prices.
- n. ***% of exports from China to third countries were at prices lower than price prevailing in India, making India a very lucrative market for the Chinese producers.
- o. The volume of exports to third countries at dumped and injurious prices is twice the entire demand in India and diversion of such exports to India will remove the domestic industry from the market.
- p. Foreign producers are engaging in unfair trade practices in other markets as well, which is evident from the fact that Korea has recently imposed anti-dumping duty on imports of subject goods from China.
- q. Imposition of anti-dumping duty by Korea has restricted access to a significant market for China, implying that subject goods are likely to be diverted to India.

- r. In case of cessation of duty, the domestic producers will not be able to compete with the prices of subject imports.
- s. To compete with the subject imports, the domestic producers will have to reduce their prices resulting in severe decline in profitability parameters, cash losses, negative return on investment and material injury to the domestic industry.

F.3. Examination by the Authority

38. The Authority has examined the arguments and submissions made with regards to injury, causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in case of expiry of anti-dumping duty. The analysis of the Authority hereunder addresses the various submissions made.
39. The Authority notes that in the present investigation, the domestic industry has not claimed injury due to the dumped imports from the subject country. The domestic industry has submitted that due to the presence of the duty, its economic parameters have witnessed improvement and thus, it is not suffering injury currently. However, the domestic industry has submitted that there is a need for continuation of anti-dumping duty as there is a likelihood of continuation of dumping and recurrence of consequent injury to the domestic industry in case of expiry of the present anti-dumping duty in force.
40. The domestic industry had small volume of captive consumption of the subject goods during the entire injury period. In view of insignificant captive consumption ***MT in relation to demand ***MT for the product in the country, the Authority has ignored the captive consumption for the purpose of injury analysis.

F.3.1 Volume effect of dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

41. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, other producers and imports of subject goods from all sources.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
<u>Excluding captive consumption</u>					
Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Range	Indexed	100	98	103	109
Other producers	MT	***	***	***	***
Range	Indexed	100	120	121	121
Imports from China	MT	2,425	1,258	18	23
Other imports	MT	216	504	180	0
Total demand	MT	***	***	***	***
Range	Indexed	100	107	106	109

42. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period.

b. Imports in absolute and relative terms

43. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DG Systems import data. The information is as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	2,425	1,258	18	23
Other imports	MT	216	504	180	0
Total imports	MT	2,641	1,762	198	23
Indian production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	111	113
Indian consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	106	109
Subject imports in relation to					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	49	1	1
Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	1	1
Total imports	%	91.82%	71.39%	9.09%	99.88%

44. It is seen that -

- The volume of subject imports has declined following the imposition of the anti-dumping duty.
- During the period of investigation, the subject imports were negligible.
- Similarly, the volume of subject imports, both in relation to Indian production and consumption, has declined over the injury period.

45. While volume of imports declined significantly in the period of investigation, it is seen that the same has once again increased significantly (48.9 MT in Oct'25 to Jan'26) or 147 MT on annualised basis, that is, increase of more than 500%, in the post-POI period.

F.3.2 Price effect of the dumped imports

46. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

47. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

Particulars	Unit	Value without ADD	Value with ADD
Import volume	MT	23	23
Landed price	₹/MT	91,044	1,29,220
Selling price	₹/MT	***	***
Price undercutting	₹/MT	***	***
Price undercutting	%	***	***
Price undercutting	Range	5-15%	(20-30)

48. It is seen that the landed price of the subject imports was below the selling prices of the domestic industry during the period of investigation. However, since the price difference was small, it is seen that the imports were no longer lucrative when compared with the price of the domestic industry because of the anti-dumping duty in place. Resultantly, the volume of imports fell sharply, reflecting the impact of anti-dumping duty.
49. It is further seen that the landed price of the subject imports was below the selling prices of the domestic industry during the period of investigation if ADD is not taken into account and thus, the price undercutting becomes positive and significant.

b. Price suppression and depression

50. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices are compared below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	77	80
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	65	67
Landed price	₹/MT	1,03,602	79,577	87,876	91,044

51. It is seen that the selling price of the domestic industry declined significantly over the injury period, indicating clear price depression. The cost of sales also declined over the same period. However, between 2023-24 and the POI, the cost of sales increased by about ₹***/MT, whereas the net sales realization increased by only about ₹***/MT. Thus,

while the overall injury period primarily shows price depression, there is also a price suppression during the POI, as the domestic industry was unable to increase its selling price fully in line with the increase in its cost of sales.

F.3.3 Economic parameters of the domestic industry

52. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilisation and domestic sales

53. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization during the period of investigation was as below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Installed capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	106	106
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	104	109
Capacity utilisation	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	98	103
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	103	109

54. It is noted that –
- The domestic industry has enhanced the installed capacity for the subject goods over the injury period, though the capacity addition is quite small.
 - Production and capacity utilization of the domestic industry declined in 2023-24 but has increased thereafter and over the injury period.
 - As the volume of subject imports has declined consequent to imposition of duties, the sales of the domestic industry increased over the period.

b. Market share

55. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, and imports from subject country and other countries as under.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	97	101
Other domestic producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	114	112
Subject imports	%	5.3%	2.58%	0.04%	0.05%
Other imports	%	0.48%	1.03%	0.38%	0.00%

56. The market share of the domestic industry remained broadly stable during the injury period, while the market share of other Indian producers increased. At the same time, the market share of subject imports declined significantly and became negligible during the POI.

c. Inventories

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	168	135	89

57. The average inventories of the domestic industry increased in 2023-24, but have declined thereafter and over the injury period, as the sales of the domestic industry increased.

d. Profitability, cash profit and return on capital employed

58. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits, and return on investment.

Particulars	UOM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	77	80
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	65	67
Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	55	17	16
Profit/ (loss)	₹/MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	57	17	15
Cash profits	₹Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	30	29
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	18	16

59. It is seen that –

- The profitability of the domestic industry has declined over the injury period. The total profits earned and the profit earned per unit have declined.
- The cash profits of the domestic industry have followed a similar trend and have declined over the injury period.
- Similarly, the return on capital employed earned by the domestic industry has declined over the injury period.

60. The domestic industry has not claimed that deterioration in these parameters is due to Chinese imports. In any case, since the volume of imports was negligible and the duty-inclusive landed price was above the selling price of the domestic industry, the decline in these parameters cannot be attributed to the imports.

e. Employment, wages and productivity

61. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	112	112
Salaries and wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	109	110
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	104	109
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	93	98

62. It is noted that the number of employees of the domestic industry increased in 2023-24, and have remained consistent thereafter. The wages paid increased in 2023-24, declined marginally thereafter, but have remained largely consistent. The productivity per day has increased over the period, while the productivity per employee has declined marginally. However, the domestic industry has not claimed injury on this account.

f. Growth

63. The growth of the domestic industry in terms of production, domestic sales volume, profits, cash profits and the return on capital employed during the period of investigation is as per given table below.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Production	%	-	-6%	10%	5%
Domestic sales	%	-	-2%	6%	6%
Profit / loss	%	-	-45%	-69%	-5%
Cash profits	%	-	-35%	-54%	-4%
Return on capital employed	%	-	-49%	-65%	-9%

64. It is noted that the domestic industry witnessed an improvement in its volume parameters subsequent to imposition of duties. Even though growth in profitability parameters was negative, the same is not due to Chinese imports. Since the volume of imports was negligible and the duty-inclusive landed price was above the selling price of the domestic industry, the decline in price parameters suffered by the domestic industry cannot be attributed to the imports.

g. Ability to raise capital investment

65. The volume of subject imports has declined over the period due to imposition of duties. As a result, the domestic industry has been able to increasingly sell its product in the market at remunerative prices and earn profits. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has not been impacted by dumping from China.

h. Factor affecting the domestic prices

66. The domestic industry has been able to sell the product for profits, and the imports have entered the market at competitive prices, post imposition of duties. The landed price of imports, after addition of anti-dumping duty, is above the selling price of the domestic industry. Therefore, the imports have not impacted the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping

67. The Authority notes that the subject goods have been exported from China at a price below normal value. The dumping margin is positive and significant. The volume of imports was negligible and was not sufficient to cause material injury to the domestic industry.

j. Magnitude of Injury Margin

68. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information and data relating to the cost of production for the period of investigation. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It has been ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax) of 22% on the average capital employed, that is to say, the average net fixed assets plus the average working capital, for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price, as prescribed in Annexure III to the Rules.
69. The landed price and non-injurious price determined have been compared for the product under consideration. The injury margin determined for the producers/exporters is provided in the table below:

Particular	NIP	Landed price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
	(\$/MT)	(\$/MT)	(\$/MT)	%	Range
Any producer	***	***	***	***	15-25

F.3.4 Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

70. The present investigation is a sunset review of duties on the imports of the product under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and has noted as below.

i. Volume of imports from the subject country

71. The volume of imports has declined over the injury period. During the period of investigation, the volume of imports from China PR was very small and insignificant. This shows that the Chinese producers are unable to sell the subject goods at fair prices and have had to reduce exports to India to a significant extent. However, the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. Further, as examined elsewhere hereinbelow, the Chinese producers can ship significant volumes in short time. In case of expiry of current anti-dumping duty, the producers in China PR are therefore likely to resume exports of subject goods at dumped prices.

72. The Authority notes in this regard that the product was being exported to India in significant volumes earlier and the same led to imposition of anti-dumping duty vide Notification No. 55/2012-Customs (ADD) dated 14th December 2012. The said imposition of duty resulted in significant decline in exports by the time of 2017. Accordingly, the ADD was not extended further after 13th December 2017. Once the duty ceased, the volume of imports increased so significantly at dumped prices and caused so significant injury to domestic industry that the domestic industry was constrained to once again file application and seek imposition of anti-dumping investigation. After elaborate investigations, the Authority recommended reimposition of anti-dumping (vide final findings of the original investigation of the present sunset review) in view of significant increase in imports at dumped prices causing injury to the domestic industry. The Authority thus notes the likelihood of significant increase in imports in a short duration.

Period	Import volume (MT)	Remarks
2016-17	43	
2017-18	710	Expiry of duty
2018-19	4,080	
2019-20	6,288	
2020-21	6,070	
2021-22	1,987	Re-Imposition of duty
2022-23	2,416	
2023-24	1,348	
2024-25	66	
POI	23	

ii. Increase in the volume of imports in post-POI period

73. The Authority has examined the transaction-wise import data obtained from DG Systems for the post-POI period from 1st October 2025 to 31st January 2026 and compared the same with the imports recorded during the period of investigation, namely, October 2024 to September 2025. Since the period of investigation covered 12 months whereas the post-POI period covers 123 days, the absolute import quantities for the two periods are not directly comparable. The Authority has, therefore, compared the imports on an annualised basis.
74. During the period of investigation, the volume of subject imports was 23 MT, whereas in the post-POI period, annualised volume of imports was 147 MT. Thus, the rate of imports increased by approximately 500% after the period of investigation on annualised basis. The post-POI data therefore shows that imports from the subject country have increased in anticipation of expiry of ADD.

Year	Imports from China (MT)	
	Actual	Annualised
2022-23	2,425	2,425
2023-24	1258	1258
2024-25	18	18
POI	23	23
Post POI (Oct'25-Jan'26)	48.9	147

iii. Chinese producers have long history of dumping

75. The imports of product under consideration from China PR have been subject to anti-dumping investigations in the past. The Authority has consistently found that exporters from China PR have engaged in significant dumping, which is evident from dumping margins determined in the past (as mentioned in the table given below). This shows that the Chinese exporters have a tendency of dumping the subject goods in India.

Investigations	Date of final findings	Dumping Margin (%)
First anti-dumping investigation	13 th September 2001	72 - 86%
First sunset review	6 th September 2006	91%
Second sunset review	3 rd October 2012	70-80%
Second anti-dumping investigation	14 th September 2021	70-80%

iv. Imposition of anti-dumping duty on Chinese exporters by Korea RP

76. Exporters in China have also been found to have dumped the subject goods in Korea RP. As a consequence, Korea RP has recently (on 17th December 2025) imposed anti-dumping duties on imports of subject goods from China at the rate of 12.87-33.97%. This shows that the foreign producers have a tendency to engage in dumping, and are likely to dump in India in the absence of duty.

v. The Indian market is price attractive

77. Based on the global export data as per Trade Map (as submitted by DI), it is seen that during the period of investigation, ***% of the Chinese exports to third countries were at prices lower than prices offered to India. This implies that India is a more price attractive market for the exporters in China, and the Chinese exporters would be willing to export to India at a price even lower than the export price prevailing in the period of investigation. If the present duty is allowed to cease, exports are likely to be diverted to India, leading to recurrence of injury to the domestic industry.

Particular	Unit	POI
Volume of exports from China to third countries	MT	***
Volume of low-priced exports from China to third countries (as compared to India)	MT	***
Share of low-priced exports in relation to total exports	%	***
	Range	90-100%
Demand in India	MT	***
Low-priced imports in relation to demand	%	***
	Range	200-210%

vi. Chinese producers hold significant capacities

78. The domestic industry has provided evidence as per information available in public domain regarding the known capacities available with the Chinese exporters. It is seen that the producers in China have large production capacities. Further, some Chinese producers individually have capacities in excess of the demand in their country. The capacity with just four producers in China is *** MT which is equal to ***% of the Indian demand. In the event the present duties cease to exist, Chinese producers are very likely to utilize their mammoth capacity by exporting to India, and thereby adversely impacting the domestic industry.

Producer	Capacity (MT)
Yantai Jinhe Sodium Hydrosulfite Factory Co., Ltd.	***
Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	***
Shandong Shuangqiao Chemical Industry Co., Ltd.	***
Guangdi Maoming Chemical Co., Ltd.	***
Total	***
Demand in India	***
Capacities of exporters in relation to demand	***%
Range	650-660

As against the total Indian capacity for PUC of 72,600 MT, the total Indian demand for PUC of 48,837 MT and DI's capacity of 37,000 MT, the total capacities of 4 Chinese producers is 3,20,000 MT which is 655% of total demand for PUC in India. In light of the propensity of the Chinese producers (with significant capacities) to resort to dumping, there is a clear likelihood that Chinese producers will divert those capacities to India and there will be recurrence and continuation of dumping and injury to the DI as per Rule 23(1B) of the Rules, which makes it imperative that anti-dumping duty be recommended for continuation at existing rate.

vii. Likely injury to the domestic industry in case of expiry of duty

79. The imposition of duties has stabilized the current market situation, enabling the domestic industry to remain competitive and profitable. However, if the duties expire, Chinese exporters are likely to resume dumping. Considering the prices at which Chinese exporters are exporting the subject goods to third countries as well as India, the domestic industry will be unable to match those prices and would not remain competitive. This would likely result in financial losses and sudden deterioration in the financial parameters for the domestic industry.

F.3.5 Conclusions on injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

80. In view of the foregoing, the Authority concludes as below.
- a. The volume of imports has declined over the injury period, in absolute and relative terms, due to imposition of duties. Imports have however increased in the post-POI period.
 - b. The landed price of subject imports is below the selling price of the domestic industry, thus showing likelihood of undercutting the prices of the domestic industry, in case the present anti-dumping duties expire.
 - c. The domestic industry has marginally enhanced its capacities, and its production and capacity utilization have also increased over the injury period.
 - d. The domestic industry has been able to increase its sales in the absence of dumped imports, and its market share has increased. In contrast, the market share of the subject imports has declined.
 - e. The average inventories of the domestic industry have declined over the period.
 - f. The profits, cash profits and return on capital employed earned by the domestic industry have declined.
 - g. The ability of the domestic industry to raise capital investment has not been impacted.
 - h. The volume of imports has declined over the injury period, and the imports were negligible during the period of investigation.
 - i. The volume of exports has historically declined upon imposition of duties but has increased once the duties are removed or allowed to expire.
 - j. The volume of imports has increased in the post-POI period by 500% when seen on an annualized basis.
 - k. The exporters in the subject country have a tendency to dump the subject goods, which is evident from the significant dumping margins determined in the present and past investigations.
 - l. India is a highly price attractive market for exporters in the subject country as the price of ***% exports from China to third countries is at prices below the prices prevailing in India and such imports can be diverted to the Indian market in absence of duties.

- m. Korea RP has imposed anti-dumping duties on exports of the subject goods from the subject country, which shows that the exporters are engaging in unfair trade practices in third countries as well.
 - n. The exporters in China PR have significant capacities, which, if diverted to India, would be able to completely take over the market share of the Indian industry.
 - o. In light of the propensity of the Chinese producers (with significant capacities) to resort to dumping, there is a clear likelihood that Chinese producers will divert those capacities to India and there will be recurrence and continuation of dumping and injury to the DI as per Rule 23(1B) of the Rules.
 - p. While the domestic industry is currently earning profits, it would suffer significant financial losses, cash losses and negative profit before interest & return on capital employed in case it is forced to match the likely prices of exports from China in absence of duties.
81. In view of the above, it is concluded that the domestic industry has not suffered continued injury from imports. However, it is concluded, based on information on record, that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent material injury to the domestic industry in case the present duties are allowed to expire.

F.3.6 Non-Attribution Analysis

82. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors that may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. Though the Authority has not found injury to the domestic industry in the present period of investigation, it has been examined below whether factors other than dumped imports are likely to contribute to the injury to the domestic industry:
- a. Volume and price of imports from third countries
83. It is noted that apart from imports from the subject country, there are no imports any other country in the POI. Therefore, the likely injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from third countries.
- b. Contraction in demand
84. It is seen that the demand for the subject goods has increased over the injury period. Thus, the domestic industry is not likely to suffer injury due to any possible contraction in demand.

- c. Conditions of competition and trade restrictive practices
85. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which are likely to cause injury to the domestic industry.
- d. Pattern of consumption
86. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which is likely to cause injury to the domestic industry.
- e. Development of technology
87. There has been no material change in technology which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the likely injury cannot be attributed to technological developments.
- f. Export performance
88. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, export performance of the domestic industry cannot be a cause of the likely injury.
- g. Performance of other products of the company
89. The likely injury cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

G.1 Submissions by the other interested parties

90. No submissions/comments were received from any other interested party in this regard.

G.2 Submissions by the domestic industry

91. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest.
- Continuation of anti-dumping duty is in the interests of the Indian industry, consumers and public at large.
 - In past investigations, the Authority noted that imposition of duty would not affect availability of the products in the market and would only ensure fair competition in the market.
 - Imposition of duties established fair market conditions and resulted in improvement in the performance parameters of the domestic industry. Moreover, due to favourable conditions in the market, a new domestic producer commenced operations.

- d. The duties did not hamper the operations or performance of the downstream users since the demand for subject goods increased despite imposition of duty.
- e. The presence of anti-dumping duty did not have any adverse effect on the performance of the user industry since no user participated in the investigation despite the knowledge regarding the ongoing sunset review.
- f. Sodium Hydrosulphite is not a raw material for any user, and is merely used as chemical additive. Accordingly, it does not account for major cost for such users.
- g. Continuation of duties would have negligible impact on the costs of the end users, and such impact is less than 1% in most cases.
- h. Even after negligible imports during the period of investigation, there was no complaint by the users regarding unavailability of subject goods in the Indian market.
- i. There is no supply demand gap in the country, and the Indian capacity is sufficient to cater to Indian demand.
- j. There are 5 producers of subject goods in India engaged in healthy competition. Thus, the users will have uninterrupted supply of subject goods.
- k. The users can source the subject goods from 5 Indian producers or import the subject goods from the subject country at fair prices.
- l. Existence of a healthy domestic industry is in the interests of the users. Absence of duty is likely to cause material injury to the domestic industry making the users completely dependent upon imports.
- m. The domestic industry has participated in various CSR projects including promoting social causes including education, healthcare, environment, animal welfare, youth and women empowerment, rural community development and other initiatives, due to the sufficient profits earned post-imposition of duties.
- n. The presence of anti-dumping duty is in line with the Make in India initiative of the Government of India and expiry of duties would defeat its objective.

G.3 Examination by the Authority

92. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to address injury caused to the domestic industry by dumped imports and to restore fair competition in the Indian market. Anti-dumping duty is not intended to restrict imports or protect the domestic industry from fair-priced imports. Its objective is to ensure a level playing field between imported and domestically produced goods. The Authority recognises that continuation of the anti-dumping duty may have some impact on the price of the subject goods in India. However, such continuation would not prevent imports or reduce fair competition. On the contrary, it would help ensure that imports compete on fair terms and that the domestic industry is not adversely affected by unfairly low-priced imports. In this context, the Hon'ble Supreme Court in *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors.* [(2006) 10 SCC 368] observed that while dumping may provide short-term benefits to consumers in the form of lower prices, it may, in the long run, adversely affect the domestic industry and competition in the market.

93. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. However, none of the producers / exporters participated or submitted any information before the Authority. Further, while one importer/user registered itself as an interested party, it also did not furnish a response to the Economic Interest Questionnaire or submitted any other information.
94. The domestic industry has claimed that Sodium Hydrosulphite is not an input or raw material for any user, and is merely used as a chemical additive in various applications. As such, continuation of duties would not have any significant impact on the ultimate users. The domestic industry has submitted detailed calculations in support of its claims.
95. It is noted that Sodium Hydrosulphite is used in diverse industrial sectors. Major applications of the subject product in different segments are listed below:
- Textiles – For dyeing of vat and indigo dyes and reduction clearing of synthetic fabric for stripping of dyes.
 - Bleaching aid – Used in ground wood pulp, soap, sugar, molasses, glue kaolin (clay).
 - Reducing agent – For reduction of metal ions to metals, disulphide linkage in wool hair and in nitrogen compounds.
 - Pharmaceuticals – For chemical reactions and de-colouring of final product.
 - Polymers – As an oxygen scavenging agent
96. It is noted that Sodium Hydrosulphite is used only as a chemical additive by the consumers. The product is not used as a raw material or major input by any user and thus, does not account of a measurable proportion in the cost for the users. Considering the utilization of the product under consideration in major applications as per the SION Norms, continuation of duties at current rates (USD 440 per MT) would have negligible impact on the downstream users as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	Cotton fabric	Denim fabric	Sugar	Remarks
Price of product	Rs/kg or piece	442	250	50	A
SHS consumed (as per SION)	Kg/kg or piece	0.02	0.02	0.004	B
Landed price of SHS	Rs/kg	91.4	91.4	91.4	C
Cost of SHS in end-product	Rs/kg	1.8	1.8	0.4	D = B*C
ADD imposed	Rs/kg	38	38	38	E
Total cost of SHS after ADD	Rs/kg	2.6	2.6	0.5	H = (E*B)+D
Impact on end-product	Rs/kg or piece	0.76	0.76	0.15	I = H - D
Impact on end-product	%	0.17%	0.31%	0.31%	J = I/A

Particulars	Unit	Ceflacor	Cotrimoxazole	Remarks
Price of product	Rs/kg or piece	11,800	1.2	A
SHS consumed (as per SION)	Kg/kg or piece	3.43	0.0000408	B
Landed price of SHS	Rs/kg	91.4	91.4	C
Cost of SHS in end-product	Rs/kg	313.5	0.0037	D = B*C
ADD imposed	Rs/kg	38	38	E
Total cost of SHS after ADD	Rs/kg	444.4	0.005	H = (E*B)+D
Impact on end-product	Rs/kg or piece	130.94	0.0016	I = H - D
Impact on end-product	%	1.11%	0.13%	J - I/A



DIRECTORATE GENERAL
OF TRADE REMEDIES

SODIUM HYDROSULPHITE (Na₂S₂O₄)

Pictographic representation of duty impact on selected downstream products

Based only on the duty impact tables in the Disclosure Statement – Textile/Fabric and Pharmaceutical products

FAIR TRADE
COMPETITIVE INDUSTRY
STRONGER INDIA



1. TEXTILE / FABRIC PRODUCTS

Sodium Hydrosulphite is used in fabric processing (e.g. bleaching, decolorisation).

Cotton fabric



Price of product	Rs 442 per kg
SHS consumed (as per SION)	0.02 kg per kg
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 1.8 per kg
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 2.6 per kg
Impact on end-product	Rs 0.76 per kg
Impact on end-product	0.17%
✓ Very small pass-through impact on final fabric cost.	

Denim fabric



Price of product	Rs 250 per kg
SHS consumed (as per SION)	0.02 kg per kg
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 1.8 per kg
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 2.6 per kg
Impact on end-product	Rs 0.76 per kg
Impact on end-product	0.31%
✓ Limited impact on final denim cost.	



2. PHARMACEUTICAL PRODUCTS

Sodium Hydrosulphite is used in pharmaceutical manufacturing (e.g. as a reducing agent).

Ceflacor



Price of product	Rs 11,800 per kg
SHS consumed (as per SION)	3.43 kg per kg
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 313.5 per kg
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 444.4 per kg
Impact on end-product	Rs 130.94 per kg
Impact on end-product	1.11%
✓ Impact remains modest relative to product value.	

Cotrimoxazole



Price of product	Rs 1.2 per piece
SHS consumed (as per SION)	0.0000408 kg per piece
Landed price of SHS	Rs 91.4 per kg
Cost of SHS in end-product	Rs 0.0037 per piece
ADD imposed	Rs 38 per kg
Total cost of SHS after ADD	Rs 0.005 per piece
Impact on end-product	Rs 0.0016 per piece
Impact on end-product	0.13%
✓ Negligible effect on finished dosage cost.	



How to read the calculation

- 1 SHS consumption shows how much Sodium Hydrosulphite is used in the product.
- 2 Cost of SHS in end-product shows the pre-duty SHS cost embedded in the final product.
- 3 Total cost of SHS after ADD shows the SHS cost after adding anti-dumping duty.
- 4 Impact on end-product shows the final pass-through effect on the finished product.



Key takeaway

- 1 Duty impact on cotton and denim fabric is very low (0.17% to 0.31%).
- 2 Duty impact on pharmaceutical products remains limited (0.13% to 1.11%).
- 3 The calculations indicate that anti-dumping duty has only a limited pass-through effect on selected downstream products.

97. The Authority notes that the Indian industry has sufficient capacity to meet the present and foreseeable demand for the subject goods, with several domestic producers providing adequate choice to users. No user filed a questionnaire/Economic Interest Questionnaire response or placed evidence on record showing adverse impact of the existing duty. Accordingly, continuation of the duties is not expected to materially affect the availability of the subject goods or adversely impact downstream users. At the same time, the existing duties have helped maintain fair market conditions and enabled the Indian industry to improve its performance in the absence of unfairly priced imports.

H. POST-DISCLOSURE COMMENTS

98. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 9th September 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which has already been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

H.1. Submissions by the other interested parties

99. The other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- a. Details of raw materials used, production process involved, cost and usage regarding differences between the zinc process and sodium formate process should be provided. Additionally, differences in Sodium Hydrosulphite of different purities should also be provided.
 - b. While it has been noted that there is no demand supply gap in the country and the Indian industry has sufficient capacity to meet the demand, the factual basis for concluding the same has not been disclosed.
 - c. The effect of anti-dumping duties imposed earlier must be examined.
 - d. Details of exports, shutdowns and depreciation costs of the domestic industry must be called for and examined.
 - e. Since the product is used in sugarcane/ sugar industry which is located only in North India and is produced seasonally, the effect of such regional and seasonal demand must be examined.
 - f. The impact of imports from South Korea, Germany, Hong Kong and other countries must be examined.
 - g. Cost and effect of pollution arising from manufacturing the subject goods must be examined.

H.2. Submissions by the domestic industry

100. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

- a. The conclusions proposed to be drawn with regards to product under consideration, domestic industry, dumping, likelihood of recurrence of dumping and injury, and causal link must be confirmed in the final findings.
- b. During the period of investigation, the Chinese exporters were exporting the goods to 69 countries, with 100% of the goods being exported at dumped prices. Further, 98% of all exports from China to third countries were at injurious prices.
- c. In case of cessation of duty, the domestic producers will not be able to compete with the prices of subject imports. In case the domestic industry is forced to reduce its prices, it would result in severe decline in profitability parameters and would cause material injury to the domestic industry.
- d. The Authority has, in previous investigations and in the present case, already noted that there are no significant differences between the product produced using zinc route or sodium formate route, as well as product having different purities.
- e. During the period of investigation, the total capacities available with the Indian industry was sufficient to meet the entire demand in the country, and there is no demand-supply gap for the product.
- f. The anti-dumping duties have addressed injury suffered by the domestic industry and has allowed it to sell its products while remaining profitable. However, in event of cessation of duties, there is likelihood of recurrence of injury.
- g. The details of exports by the domestic industry and depreciations costs have already been provided as part of Proforma IVA.
- h. The domestic industry did not face any abnormal or major shutdowns which would impact the operations of the domestic industry.
- i. The product is used in various applications and the usage is not limited to any season or region, which could have any impact on the demand for the product.
- j. Since there are no imports from any other country, the same could not have had any impact on the domestic industry.
- k. The domestic industry has not faced any abnormal costs on account of pollution caused during the manufacturing process.

H.3. Examination by the Authority

101. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry, which are considered relevant by the Authority, and which have not been already examined above, are examined below.

102. The submissions with regard to difference in manufacturing process, impact of imposition of anti-dumping duty on performance of domestic industry, exports by domestic industry, depreciation cost of the domestic industry, and impact of imports from other countries have already been examined in the relevant portion of the present final findings.
103. With regard to the contention that demand for the subject goods is seasonal and region-specific because of its use in the sugar industry, the Authority notes that Sodium Hydrosulphite is used in several industries and applications across the country and is not confined to the sugar industry. No evidence has been placed on record to show that seasonality or regional consumption has materially affected the demand for the subject goods. Further, the injury period covers four years and demand has increased over this period. The interested parties have also not demonstrated how any seasonal or regional factor has affected only a particular period. The contention is therefore not supported by the facts on record.
104. With regard to shutdowns of the domestic industry, the Authority has examined the information submitted by the domestic industry. It is seen that there were no abnormal or unplanned shutdowns which could have materially affected its performance during the relevant period.
105. The interested parties have sought disclosure of the basis for the finding that the Indian industry has sufficient capacity to meet domestic demand. The Authority has examined the capacity information submitted by the domestic industry and the supporting Indian producers. The position is as follows:

Name of producer	Status	Capacity (MT)
Silox India Private Limited	Domestic industry	***
Demosha Chemicals Private Limited	Supporter	***
Kutch Chemicals Private Limited	Supporter	***
Gulshan Chemicals Limited	Supporter	***
TCP Limited	Other Indian producer	***
Total Indian capacity		***
Total Indian demand		***

106. The total Indian capacity of ***MT is substantially higher than the Indian demand of ***MT. Thus, the Indian industry has sufficient capacity to meet the current domestic demand and also has capacity available to meet an increase in demand. Therefore, continuation of the anti-dumping duty is not expected to result in any shortage of the subject goods in India.
107. With regard to the contention concerning pollution-related costs, the Authority notes that the domestic industry has provided details of the expenditure incurred on effluent

treatment. No other abnormal or additional pollution-related cost has been identified. Further, the interested parties have not submitted any evidence showing that production of the subject goods involves unusually high pollution-related costs which have affected the performance of the domestic industry. The contention is therefore not supported by evidence on record. Therefore, the Authority does not find any merit in the submission.

108. The domestic industry has also placed information on record regarding exports of the subject goods from China PR to third countries. The Authority has examined the data submitted by the domestic industry with reference to the normal value and non-injurious price determined in the present investigation. The analysis shows that out of total Chinese exports of ***MT to third countries, ***MT, or about **%, were exported at dumped prices. Further, ***MT, or about **%, were exported at prices below the non-injurious price of the domestic industry after appropriate adjustments.

Particulars	Unit	POI
Volume of exports from China to third countries	MT	***
Volume of dumped exports from China to third countries	MT	***
Share of dumped exports in relation to total exports	%	99%
Volume of injurious exports from China to third countries	MT	***
Share of injurious exports in relation to total exports	%	98%
Demand in India	MT	***
Dumped exports to third countries in relation to Indian demand	%	***
Injurious exports to third countries in relation to Indian demand	%	***

109. The volume of Chinese exports to third countries at dumped and injurious prices is therefore significantly higher than the entire Indian demand. This shows that a substantial volume of Chinese exports is available at prices capable of causing injury. If the existing anti-dumping duty is allowed to expire, such exports could be redirected to the Indian market. The Authority therefore considers this to be an important factor supporting the likelihood of recurrence of dumped and injurious imports.

I. CONCLUSION

110. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration is Sodium Hydrosulphite, whether produced through the Zinc process or the Sodium Formate process.
 - The product produced by the domestic industry is a like article to the imported product under consideration.
 - The application for the sunset review was filed by Silox India Private Limited and was supported by Demosha Chemicals Private Limited, Gulshan Chemicals Limited and Kutch Chemicals Industries Limited.

- iv. The applicant accounts for about ***% of the total Indian production and therefore constitutes the domestic industry. The applicant together with the supporting producers accounts for about ***% of the total Indian production.
- v. The dumping margin determined for imports from the subject country is positive, above the de minimis level and significant.
- vi. Demand for the subject goods increased overall over the injury period.
- vii. The domestic industry has not suffered material injury during the present period. Subject imports declined to negligible levels, while domestic sales, production and capacity utilisation improved. Although profit, cash profit and return on capital employed declined, the domestic industry remained profitable.
- viii. However, the available information shows that dumping and injury are likely to recur if the existing anti-dumping duty is allowed to expire, for the following reasons:
 - a. Subject imports declined significantly during the injury period and were negligible during the POI.
 - b. Historically, imports declined when anti-dumping duty was in force and increased when the duty was removed or allowed to expire.
 - c. Imports increased during the post-POI period and, on an annualised basis, were higher than the POI and 2024-25.
 - d. Significant dumping margins have been found in the present as well as earlier investigations, showing a continued tendency of Chinese exporters to dump the subject goods.
 - e. Chinese exporters are exporting significant quantities to third countries at prices below the normal value and below the non-injurious price of the domestic industry. Such exports can be diverted to India if the duty expires.
 - f. India is a price-attractive market. About 95% of Chinese exports to third countries are at prices below the prices prevailing in India, creating a strong possibility of diversion to India.
 - g. Korea RP has also imposed anti-dumping duty on imports of the subject goods from China PR, indicating dumping of the subject goods in other markets as well.
 - h. Chinese producers have significant production capacities. Even a part of these capacities, if diverted to India, can significantly affect the Indian market.
 - i. Although the domestic industry is presently profitable, it is likely to suffer financial losses, cash losses and negative returns if it is required to reduce its prices to compete with likely Chinese import prices in the absence of duty.
- ix. Continuation of the anti-dumping duty is in the public interest and is not expected to cause any significant adverse impact on the public at large.
- x. The subject goods are used mainly as a chemical additive in downstream applications and do not constitute a major part of the cost of the downstream products.
- xi. The continuation of duty is expected to have only a negligible impact on the price of downstream products and is therefore not likely to place any significant burden on end consumers.
- xii. There are five producers of the subject goods in India and the available domestic capacity is sufficient to meet the present demand as well as a reasonable increase in future demand. Therefore, continuation of duty is not expected to create any demand-supply gap.

- xiii. No user filed a questionnaire/Economic Interest Questionnaire response or placed evidence on record showing adverse impact of the existing duty. There is, therefore, no evidence on record showing any significant adverse impact of the existing duty on downstream users.

J. RECOMMENDATIONS

111. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continuation / recurrence of dumping and injury in the event of cessation of duties. Having concluded that there is likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry if the anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject country. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive antidumping duty imposed vide Notification No. 71/2021-Customs (ADD) dated 17 December 2021, pursuant to Final Findings dated 14 September 2021.
112. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject country for a further period of five (5) years.

Duty Table

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2831 1010 and 2832 1020	Sodium Hydrosulphite	China PR	Any country including China PR	Any	440	MT	USD
2.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	440	MT	USD

K. FURTHER PROCEDURE

113. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority